

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए ई-निविदा



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
7वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II
पट्टो प्लाजा, पणजी-403001

सार्वजनिक सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए ई-निविदा

निविदा सं. - आरबीआई/पणजी/क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/2/25-26/ईटी/258/केटरिंग निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी क्षेत्रीय कार्यालय शीर्षक विषय पर दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर "निविदाएं" लिंक देखें <https://www.rbi.org.in>

एमएसटीसी पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eproc>) पर ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त, 2025 (शाम 1700 बजे तक) है।

बैंक किसी भी कारण बताए बिना किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऊपर उल्लिखित रिज़र्व बैंक/एमएसटीसी वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, पणजी ने इच्छुक पार्टियों को अनुबंध पर पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित सूचना तैयार करते समय उचित सावधानी बरती है और यह विश्वास किया है कि यह उचित है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों में से कोई भी इस दस्तावेज में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देता है या कोई भी प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्त या निहित करता है। इसके साथ सहयोग से प्रदान किया गया।

जानकारी के संपूर्ण होने का वादा नहीं है। इच्छुक पार्टियां अपने स्तर पर पूछताछ करने की करें और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसियों या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए गैर-बाध्यकारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अनुबंध के साथ आगे न बढ़ने या अनुबंध के विन्यास को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, इस दस्तावेज में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने के लिए। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इस टेंडर में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
7वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II
पट्टो प्लाजा, पणजी-403001

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए ई-निविदा (केवल ई-खरीद के माध्यम से)

निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए ई-निविदा (केवल ई-खरीद के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी क्षेत्रीय कार्यालय (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) शीर्षक विषय पर दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है।

2. अनुबंध छह महीने की अवधि के लिए होगा अर्थात् 01 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक, पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के साथ अधिकतम दो और वर्षों (31 मार्च, 2028 तक) के लिए अनुबंध के नवीकरण के प्रावधान के साथ, एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 अप्रैल से 2026 से 31

मार्च 2027 तक और 01 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028 तक संतोषजनक निष्पादन के अध्यधीन प्रचलित करार की समाप्ति के समय बैंक द्वारा मूल्यांकन किए जाने के अध्यधीन ऐसा किया है। अपेक्षित अनुबंध मूल्य ₹ 36,00,000/- (केवल छत्तीस लाख रुपये) है। एमएसटीसी पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocns>) पर ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2025 (शाम 1700 बजे तक) है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर "निविदाएं" लिंक पर जाएं <https://www.rbi.org.in> .

3. निविदा दस्तावेज आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है: www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com । इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले इस निविदा के संबंध में किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करें। इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। बैंक को निविदा रद्द करने, संशोधित करने और बोली जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके अलावा, बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए ई-निविदा

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

1.	ई-निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए ई-निविदा
2.	ई-निविदा नं.	आरबीआई/पणजी/क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/2/25-26/ईटी/258/केटरिंग टेंडर
3.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम(ऑनलाइन भाग I – तकनीकी बोली और भाग II - https://www.mstcecommerce.com/eproc के माध्यम से वित्तीय बोली)
4.	ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तिथि उपलब्ध पार्टियों को देखने/डाउनलोड करने के लिए	04 जुलाई 2025 (1700 बजे को)
5.	प्री-बिड मीटिंग की तारीख	31 जुलाई 2025 (1100 बजे)
6.	बोली-पूर्व बैठक का स्थान	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सातवीं मंजिल, गेरा इम्पेरियम-II, पट्टो प्लाज़ा, पणजी - 403001
7.	निविदा का अनुमानित मूल्य	मूल्य ₹36,00,000/- (केवल छत्तीस लाख रुपये) प्रति वर्ष, जीएसटी को छोड़कर
8.	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी वेबसाइट के अनुसार
9.	ई-निविदा के ऑनलाइन जमा करने की तिथि (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली))	एमएसटीसी ई-कॉमर्स (https://www.mstcecommerce.com/eproc में 24 जुलाई 2025 (1100 बजे बजे)
10.	ई-निविदा की उपलब्धता की अंतिम तिथि	12 अगस्त 2025 (1700 बजे तक)
11.	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि।	12 अगस्त 2025 (1700 बजे तक)
12.	भाग-I के खुलने की तिथि और समय	12 अगस्त 2025 (1730 बजे)
13.	भाग-II खोलने की तिथि (वित्तीय बोली)	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन्हीं बोलीदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनके भाग-I (तकनीकी बोली) को भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकार्य पाया गया है। ऐसे बोलीदाता (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मेल के माध्यम से भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।
14.	बयाना धन जमा (EMD)	निविदा आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कुल अनुबंध मूल्य का 2% होने के नाते ₹72,000/- (बहत्तर हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी) प्रत्येक बोलीदाता द्वारा एनईएफटी के माध्यम से 12

भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

		अगस्त, 2025 (1300 बजे तक) जमा की जाएगी। इस शर्त का पालन करने में विफलता निविदा को शून्य कर देगी और निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईमडी पर कोई व्याज नहीं देय होगा। असफल बीडर्स को ईमडी की रकम 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी। सफल बिडर्स को करार के हस्ताक्षर होने के 7 दिनों के अंदर टेंडर अवार्ड होने के बाद,ईएमडी की रकम सेकुरीटी डिपॉजिट बैंक गारंटी के माध्यम से जमा होने के एक महीने के अंदर, वापस कर डी जाएगी।ईमडी की रकम उन बिडर्स को वापस नहीं की जाएगी जो अपना टेंडर समय की वैधता के अंदर वापस कर लेंगे या करार अवार्ड ऑफ वर्क के 7 दिनों के अंदर नहीं करेंगे।									
15.	ईएमडी का विवरण	<table><tr><td colspan="2">₹72,000/- (रु. बहत्तर हजार मात्र)</td></tr><tr><td>खाता नाम</td><td>भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी</td></tr><tr><td>खाता संख्या</td><td>186003001</td></tr><tr><td>आईएफएस कोड</td><td>RBIS0PJPA01</td></tr></table> नोट- कृपया आईएफएस कोड के 5वें और 10वें अक्षर को "शून्य" के रूप में पढ़ें।		₹72,000/- (रु. बहत्तर हजार मात्र)		खाता नाम	भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी	खाता संख्या	186003001	आईएफएस कोड	RBIS0PJPA01
₹72,000/- (रु. बहत्तर हजार मात्र)											
खाता नाम	भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी										
खाता संख्या	186003001										
आईएफएस कोड	RBIS0PJPA01										
16.	एनईएफटी विवरण (ईएमडी रिफंड के लिए)	सभी बोलीदाताओं द्वारा प्रदान किया जाना है। एनईएफटी हस्तांतरण की पुष्टि करने वाला ई-मेल oldrpanaji@rbi.org.in को भेजा जा सकता है और सीसी pulkitagrawal@rbi.org.in kartikg@rbi.org.in करने के लिए सफल बोलीदाता के मामले में, निविदा प्रदान करने की तारीख से 07 दिनों के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, वैध बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने की तारीख से एक (1) महीने की अवधि के भीतर ईएमडी वापस कर दिया जाएगा। तथापि, असफल बोलीदाता की ईएमडी कार्य सौंपे जाने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर इस संबंध में देय ब्याज के बिना लौटा दी जाएगी।									
17.	अनुबंध की वैधता	01 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 वार्षिक रूप से केवल बैंक के विवेक पर और भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले प्रदर्शन के आधार पर 31 मार्च, 2028 तक बढ़ाया जा सकता है।									
18.	संचार के लिए पता	क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक 7वीं मंजिल, गेरा इम्पेरियम II पट्टो प्लाजा, पणजी, गोवा - 403001									

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ के टीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

1. उपरोक्त दिनों में से किसी पर भी काम के किसी भी अप्रत्याशित बंद / अवकाश की स्थिति में, इसे अगले कार्य दिवस पर खोला / आयोजित किया जाएगा।
2. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को खारिज कर दिया जाएगा।
3. बोली दस्तावेजों के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाली निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।
4. किसी भी समस्या/विवाद/मुद्दे के मामले में, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
5. बैंक बिना कोई कारण बताए यदि आवश्यक हो, किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.rbi.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है और www.mstcecommerce.com। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को इस संबंध में किसी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी

-

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी मेंअधिकाररयों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैं टीन मेंखानपान सेर्ाएंप्रदान करनेऔर रखरखार् केधलए ई-धनधर्दा

विषयसूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
भाग I		
1.	खंड I, ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश	8-12
2.	खंड II, निविदा प्रपत्र	13-15
3.	खंड III, पात्रता मानदंड	16-28
4.	खंड IV, मूल्यांकन मानदंड	29-32
5.	खंड V, अनुबंध का दायरा	33-37
6.	खंड VI, नियम और शर्तें / समझौते के लेख	38-54
7.	खंड VII, तरलता क्षति/दंड खंड	55
8.	खंड VIII, तकनीकी बोली	56-60
भाग II		
9.	वित्तीय/मूल्य बोली	61-63
10.	अनुलग्नक I-XIV - डेटा सबमिशन प्रारूप	64-92

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धनधर्दा

भाग-1, खंड-1

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में खानपान सेवाएं प्रदान करने और अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन के रखरखाव के लिए ई-निविदा

ई- निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पणजी का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले ई-निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस और बाद में शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

1. **पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास नवीनतम और अद्यतन तृतीय श्रेणी का हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई, पणजी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं (बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर के बिना दर्ज नहीं की जाएंगी)।

नोट: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली केवल <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर ऑनलाइन जमा की जानी है ।

- i. विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com → ई-खरीद → पीएसयू / सरकारी विभागों → आरबीआई रजिस्टर के साथ विवरण भरकर और स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर 'विक्रेता' के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है → जमा करें।
- ii. विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।
- iii. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई पणजी से संपर्क करें, (ई-निविदा के बंद होने के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

श्री तन्मय सरकार, उप प्रबंधक, ईमेल आईडी - wroopn11@mstcindia.in , मोबाइल:

7651915418/8349894664 (सभी तकनीकी मुद्दों के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक) ई-निविदाएं, सिस्टम सेटिंग्स आदि)।

ईमेल आईडी – hepldeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, पणजी):

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैं टीन में खानपान
सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

i) श्री पुलकित अग्रवाल (सहायक महाप्रबंधक), एचआरएमडी, आरबीआई, पणजी

दूरभाष: 0832-2467 840 ईमेल आईडी: pulkitagrawal@rbi.org.in

ii) श्री कार्तिक एस गोखले (सहायक प्रबंधक), एचआरएमडी, आरबीआई, पणजी

दूरभाष: 0832-2467848 ईमेल आईडी: kartikg@rbi.org.in

2. सिस्टम आवश्यकताएँ:

- i. विंडोज XP-SP3 और इसके बाद के संस्करण / विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii. IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र
- iii. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- iv. JRE-7 अपडेट 9 और इसके बाद के संस्करण के सॉफ़्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है। ई) डीएससी के लिए "संरक्षित मोड" को साइनर बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं। इंटरनेट विकल्प > उपकरण > सुरक्षा > संरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम है - यानी "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करते हुए टिक बॉक्स से टिक हटा दें।

अन्य सेटिंग्स: उपकरण > इंटरनेट विकल्प सामान्य > > "ब्राउज़िंग इतिहास / ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय > है। सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और कस्टम स्तर के > उपकरण > इंटरनेट विकल्प के तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया पृष्ठ से IE सेटिंग्स www.mstcecommerce.com एक बार चलाएं)
अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता गाइड और

<https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का उल्लेख कर सकता है।

3. मूल्य बोली <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है। निविदाएं निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

4. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय / मूल्य प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

5. लेनदेन शुल्क के लिए विशेष नोट: विक्रेता सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि में कोई परिवर्तन किए बिना प्रेषित करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैं टीन में खानपान
सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत होगा और सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

6. लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है: एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे घटना के समापन समय से पहले अग्रिम रूप से लेनदेन शुल्क को अच्छी तरह से प्रेषित करें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दिया जा सके। निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में सूचना केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रदान किया गया उनका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें। एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुंचा जा सकता है।

7. ई-निविदा में बोली:

- i. विक्रेताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए आवश्यक बयाना धन जमा (ईएमडी) और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। ₹72,000/- (रु. बहत्तर हजार केवल) की राशि के लिए ईएमडी आरबीआई, पणजी को प्रेषित किया जाना है, ताकि आरबीआई पणजी को 12 अगस्त, 2025 (1300 बजे तक) तक प्राप्त किया जा सके। एनआईटी लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार हैं।

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी

आईएफएससी: RBIS0PJPA01 (कृपया पांचवें और दसवें अक्षर को शून्य के रूप में पढ़ें)

खाता सं. : 186003001

लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाएगा।

- ii. बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण के प्रमाण को pulkitagrawal@rbi.org को ई-मेल करे में और kartikg@rbi.org.in ।
- iii. आरबीआई द्वारा ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) की ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा निविदा प्रदान करने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी।
- iv. इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाना शामिल है।
- v. जिन बोलीदाताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली/वित्तीय बोली www.mstcecommerce.com → सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभागों ई-प्रापण के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। → RBI → My menu → Auction Floor Manager → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट के चयन के तहत लॉगिन करें।
- vi. बोलीदाता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कार्य बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद किया जाना है। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरने होंगे और उसी को सहेजना होगा। उसके

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैं टीन में खानपान
सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

- बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें, यदि लागू हो। यदि यह एप्लीकेशन नहीं चलती है तो बोलीदाता अपनी तकनीकी बोली को बचाने/जमा नहीं कर पाएगा।
- vii. तकनीकी बोली (यदि लागू हो) भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना पड़ता है और फिर बोलीदाता को अपनी वित्तीय बोली दर्ज करने के लिए 'बचत' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सहेजे जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए अंतिम सबमिशन बटन पर क्लिक कर सकता है।
 - viii. बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'अटैच डॉक' बटन का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
 - ix. सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
 - x. पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
 - xi. ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
 - xii. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसी की स्वीकृति बाद में आपूर्ति के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच उस प्रभाव के अनुबंध के निष्पादन द्वारा एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।
 - xiii. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा प्रणाली द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - xiv. खरीदार रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि मामला हो सकता है, बिना कोई कारण बताए।
 - xv. निविदा दस्तावेज की शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।

किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है। इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। तकनीकी और वित्तीय नियमों और शर्तों में कोई विचलन की अनुमति नहीं है। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली (ओं) की प्राप्ति की नियत तारीख बढ़ाने का अधिकार है। विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता गाइड पढ़ें और बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पेज में वीडियो देखें।

8. यह निविदा दस्तावेज न तो एक प्रस्ताव पत्र है और न ही कानूनी अनुबंध है, बल्कि संभावित ठेकेदारों के लिए एक निमंत्रण प्रस्ताव है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

भाग-I, खंड-II

निविदा प्रपत्र

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पणजी

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-निविदा

1. उपर्युक्त कार्य से संबंधित आवश्यकताओं, शर्तों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने और कार्य स्थल का दौरा करने और जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम प्रस्तुत वित्तीय बोली में उल्लिखित दरों पर और निविदा दस्तावेज में निर्धारित विभिन्न शर्तों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन के रखरखाव और खानपान सेवाएं प्रदान करने का कार्य करने का प्रस्ताव करता/करती हूं।
2. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम एतद्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूं, और इसके डिफॉल्ट रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसी रकम जव्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हूं जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा दस्तावेज में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।
3. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि निविदा निविदा के भाग I (तकनीकी बोली) को खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की यह अवधि उस अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक सहमति हो। मैं/हम बयाना धन जमा (ईएमडी) और निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं, जो निविदा/अनुबंध की वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध हो।
4. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। मुझे इस दस्तावेज में दी गई किसी भी या सभी जानकारी को बैंक द्वारा सत्यापित करने पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि आवश्यक हो। इसके अलावा, मुझे/हमें प्रतिष्ठानों/हमारे द्वारा अनुरक्षित/प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निरीक्षण के लिए स्थल दौरों का संचालन करने में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई आपत्ति नहीं है।
5. मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे विरुद्ध पुलिस/न्यायालय/नियामक/सतर्कता प्राधिकरणों में कोई मामला नहीं है। साथ ही, मुझे/हमें भारतीय रिज़र्व बैंक सहित किसी भी संगठन द्वारा किसी भी कारण से न तो निलंबित/सूचीबद्ध/अयोग्य घोषित किया गया है, न ही ऐसी कोई कार्यवाही लंबित है या विचाराधीन है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि न तो हमारी फर्म/संस्था और न ही कोई भागीदार किसी घोटाले या अनुशासनात्मक कार्यवाही में शामिल है या निर्णय के लिए लंबित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ के टीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

6. मैं/हम ई-निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
7. मैंने/हमने इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों और अनुदेशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और स्वयं उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।
8. मैं/हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम और भविष्य निधि, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी, राहत प्रभार, वर्दी और भत्ता आदि के रूप में मुआवजे के संबंध में अन्य सभी लागू वैधानिक प्रावधानों और समय-समय पर लागू किसी भी अन्य शुल्क के प्रावधानों का पालन करेंगे। मैं/हम समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार तैनात कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करेंगे और इसके किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। मैं/हम तैनात कर्मियों का बैंक खाता विवरण और उपरोक्त के लिए सभी दस्तावेजी साक्ष्य मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करेंगे।
9. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी के पास कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
हमारे बैंकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	बैंक का नाम	शाखा और उसका पूरा पता	संपर्क व्यक्ति का नाम: शाखा प्रबंधक / आरएम उनके फोन नंबर के साथ	शाखा की टेलीफोन और ईमेल आईडी
1.				

1. हम अपने ग्राहकों की सूची पूरी जानकारी के साथ संलग्न कर रहे हैं:

क्रमांक	ग्राहक का नाम	स्थान	प्रमुख व्यक्ति के साथ काम (नाम, रैंक / पदनाम, कॉर्पोरेट ईमेल आईडी सहित संपर्क विवरण)	काम की प्रकृति	काम करने के लिए खानपान कर्मियों की संख्या
1.					

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कै टीन में खानपान
सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

12. अन्य जानकारी:

1.	नाम, फर्म/एजेंसी/संस्था का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल	
2.	फर्म/एजेंसी/संस्था की पंजीकरण सं.	
3.	बढ़ी हुई सूचना के साथ-साथ फर्म/एजेंसी के प्राधिकारी व्यक्ति का नाम, नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल पता	
4.	कृपया बताएं कि क्या निविदाकर्ता केवल स्वामित्व वाली/भागीदारी फर्म/कंपनी/इकाई है। नाम और पता और टेलीफोन नंबर (व्यक्तिगत मोबाइल नंबर सहित) निदेशकों/भागीदारों की संख्या विनिदष्ट की जानी चाहिए।	
5.	पैन (आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की संलग्नक)	
6.	भविष्य निधि खाता संख्या (ईपीएफओ द्वारा आवंटित)	
7.	ईएसआई संख्या (ईएससीआई द्वारा आवंटित)	
8.	ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम के तहत लाइसेंस संख्या	
9.	जीएसटी संख्या	
10.	एनईएफटी विवरण (ईएमडी की वापसी के लिए)	
11.	कोई अन्य जानकारी:	
12.	बोलीदाता द्वारा घोषणा: यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों को पूरी तरह से पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया है और स्वयं/स्वयं उनका पालन करने का वचन देते हैं। मैं/हम समझते हैं कि आप किसी भी या सभी निविदा को बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।	

दिनांक 2025 माह की यहतारीख

मेसर्स के लिए एवं उनकी ओर से (हस्ताक्षर मुहर सहित)

नाम:

पदनाम:

स्थान:

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए ई-धनधर्मा

भाग-I, खंड-III

पात्रता मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी (जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा गया है) में स्थित ऑफिसर्स लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर) और स्टाफ कैटीन, जिसमें वर्तमान में लगभग 60 कर्मचारी कार्यरत हैं, में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए एक एजेंसी/विक्रेता/फर्म/संस्था को नियुक्त करने का इच्छुक है।

ओएलडीआर और स्टाफ कैटीन को बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के अनुसार प्रबंधित किया जाना चाहिए। ठेकेदार/विक्रेता सभी कार्य दिवसों पर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार एक (01) पर्यवेक्षक, तीन (03) रसोइये और पांच (05) रसोई सहायक/वेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार/विक्रेता द्वारा तैनात किसी भी स्टाफ के प्रतिस्थापन के लिए ठेकेदार/विक्रेता द्वारा प्रदान किया जाना है और इसकी सूचना बैंक को अग्रिम रूप से दी जानी है। बैंक ऊपर निर्दिष्ट कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक केवल मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर लागू न्यूनतम मजदूरी (पीएफ, ईएसआई, बोनस, ईडीएलआई और प्रशासनिक शुल्क जैसे लागू वैधानिक भत्ते सहित) की प्रतिपूर्ति कार्य दिवसों के लिए विक्रेता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिए निविदाकर्ता को करेगा। उपर्युक्त स्टाफ के न्यूनतम वेतन के अलावा कोई भी अतिरिक्त व्यय विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुबंध बैंक द्वारा अनुबंध देने की तारीख से शुरू होगा और शुरू में 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा, जिसे बैंक के विवेक पर पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अधिकतम दो वर्षों (एक समय में एक वर्ष) की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि अनुबंध अवधि की अवधि के दौरान निविदाकर्ता द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक सेवाएं हों।

1. पात्रता मानदंड: कार्य/अनुबंध की अनुमानित लागत जीएसटी के अलावा लगभग ₹36,00,000/- (रुछत्तीस लाख मात्र) प्रति वर्ष है। केवल वे बोलीदाता/निविदाकर्ता जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में खानपान सेवाएं प्रदान करने और ओएलडीआर और स्टाफ कैटीन के रखरखाव के लिए निविदा में आवेदन करने के पात्र हैं। तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन तकनीकी बोली के भाग के रूप में बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। बोलियां नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार होंगी। दस्तावेजी साक्ष्य/घोषणा नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के लिए अपलोड/प्रदान की जा सकती है, जिसके अभाव में, बोली अस्वीकृत होने के लिए उत्तरदायी है:

क्रमांक	न्यूनतम मानदंड	संलग्न किया जाने वाला दस्तावेज
1.	पंजीकरण: बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक सुस्थापित संगठन होना चाहिए।	इस संबंध में सरकारी अधिकारियों (केंद्र और राज्य जैसा लागू हो) द्वारा जारी सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करें।
2.	बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं के पास सांविधिक निकायों से सभी मंजूरी सहित खानपान व्यवसाय करने के लिए सरकार द्वारा	अनुबंध XII में संलग्न प्रारूप के अनुसार वैध लाइसेंस जैसे प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ कंपनी लेटर हेड पर कंपनी प्रोफाइल संलग्न करें।

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ के टीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धनधर्दा

	अपेक्षित वैध लाइसेंस/प्रमाण पत्र होना चाहिए।	
3.	अनुभव/कार्य अनुभव: निविदाकर्ताओं को खानपान और रखरखाव सेवाओं के क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हालांकि, केवल पांच साल के अनुभव (गैर-लगातार) वाली फर्मों के लिए, यह पिछले सात वर्षों के भीतर होना चाहिए।	कृपया प्रासंगिक दस्तावेज को एक प्रमाण के रूप में संलग्न करें कि फर्म उल्लिखित अवधि के लिए खानपान व्यवसाय में है (31 मार्च, 2025 से पहले के हस्ताक्षर के साथ कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र जमा किए जाएंगे)। विवरण अनुलग्नक I में सभी सहायक दस्तावेजों के साथ ठीक से संलग्न किया जाएगा और "अनुभव मानदंड" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
4.	i) बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं के पास प्रतिष्ठित संगठनों [सरकारी विभागों (केंद्रीय या राज्य)/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केंद्रीय और राज्य)/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय निगमों/सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/अन्य नियामक प्राधिकरणों] में 31 मार्च, 2025 तक खानपान सेवाएं प्रदान करने का न्यूनतम पांच (05) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। <u>अथवा</u> ii) व्यवसाय में कम से कम पांच साल का अनुभव रखने वाले रेस्तरां। हालांकि, केवल पांच साल (गैर-लगातार) अनुभव वाले रेस्तरां के लिए, यह पिछले सात वर्षों की अवधि के भीतर होना चाहिए।	i) आवेदकों को अनुबंध-I में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए, पिछले पांच (05) वित्तीय वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए संबंधित कार्य का विवरण दिखाते हुए संबंधित कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। कम से कम एक पूर्णता प्रमाण पत्र / कार्य आदेश / समझौते की प्रति / कोई अन्य दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा ताकि यह स्थापित किया जा सके कि कंपनी खानपान सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में है। (नोट: - खानपान सेवाओं में इस तरह के अनुभव के लिए दस्तावेजी साक्ष्य और अनुबंध-I के साथ समान कार्यों/अनुबंधों के आधार पर सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रासंगिक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे)। ii) कृपया संबंधित दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में संलग्न करें कि रेस्तरां उल्लिखित अवधि के लिए व्यवसाय में है।
5.	प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं को 31 मार्च, 2025 तक पिछले पांच (05) वर्षों के दौरान सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र - केंद्रीय या राज्य/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों/प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों/बहुराष्ट्रीय निगमों/सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों/अन्य नियामक प्राधिकरणों	कृपया अनुबंध- II में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रमाण के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें कि फर्म उल्लिखित अवधि के लिए व्यवसाय में है (कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2025 से पहले के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे)। निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं: 1. कार्यक का स्कोप 2. अनुबंध मूल्य

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कै टीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धनधर्दा

में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए समान कार्यो/अनुबंधों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ग्राहक प्रमाण पत्र अपलोड/जमा करना होगा। खानपान सेवाएं प्रदान करने और उनका रख-रखाव करने के लिए तीन (03) कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत अर्थात् 14.40 लाख रुपए से कम नहीं है। अथवा खानपान सेवाएं प्रदान करने और अनुरक्षित करने के लिए दो (02) कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 50% अर्थात् 18.00 लाख रुपए से कम नहीं है। अथवा एक (01) खानपान सेवाएं प्रदान करने और उनका रख-रखाव करने का कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% अर्थात् 28.80 लाख रुपए से कम न हो, अथवा ऐसे रेस्टोरेंट जिनके न्यूनतम तीन आउटलेट हैं जिनका व्यक्तिगत वार्षिक टर्नओवर मूल्य अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं है अर्थात् ₹14.40 लाख अथवा ऐसे रेस्त्रां जिनके न्यूनतम दो आउटलेटों का वैयक्तिक वाषक टर्नओवर मूल्य अनुमानित लागत के 50% से कम न हो अर्थात् 18.00 लाख रु, अथवा ऐसे रेस्त्रां जिनका वैयक्तिक वाषक टर्नओवर मूल्य अनुमानित लागत के 80% से कम न हो, अर्थात् 28.80 लाख रुपए	3. संविदा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए गए कर्मचारियों की संख्या 4. अनुबंध की अवधि 5. अनुबंध शुरू होने की तारीख 6. अनुबंध के पूरा होने की तिथि 7. मासिक भुगतान 8. संतोषजनक रिपोर्ट 9. यदि प्रधान नियोक्ता एक निजी भागीदार है, तो प्रासंगिक टीडीएस प्रमाण पत्र भी संलग्न किए जाएंगे विवरण अनुबंध II में संलग्न प्रारूप में उल्लिखित किया जाएगा और एमएसटीसी पोर्टल पर सभी सहायक दस्तावेजों के साथ ठीक से संलग्न किया जाना चाहिए और "पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पूर्ण कार्य" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। कृपया संबंधित दस्तावेज को प्रमाण के रूप में संलग्न करें कि रेस्तरां में उल्लिखित अपेक्षित वार्षिक कारोबार हो रहा है।
6. वार्षिक कारोबार: बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं के पास तीन (03) वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22,	कृपया वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और आयकर प्रमाणपत्र संलग्न करें।

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कै टीन में खानपान सेर्ाएं प्रदान करने और रखरखार् के धलए ई-धन धर्दा

	2022-23 और 2023-24 में से प्रत्येक के दौरान अनुबंध की अनुमानित लागत ₹ 36,00,000/- (₹ छत्तीस लाख मात्र) के बराबर या 100 प्रतिशत से अधिक वार्षिक कारोबार होगा।	इसके अलावा अनुबंध XIII में संलग्न प्रारूप में विवरण का उल्लेख करें और संलग्न करें। दस्तावेजों पर संबंधित प्राधिकरण/सीए द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
7.	सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट/बैंकर रिपोर्ट: बोलीदाता/निविदाकर्ता अपनी क्रेडिट योग्यता साबित करने के लिए निविदा की अनुमानित लागत ₹ 36,00,000/- (₹ छत्तीस लाख केवल) के बराबर या 100 प्रतिशत से अधिक मूल्य के अनुलग्नक-III में दिए गए अनुसार बैंकर प्रमाणपत्र भी अपलोड करेंगे।	एमएससीटीसी पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रासंगिक बैंकर का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8.	बोलीदाताओं / निविदाकर्ताओं के पास श्रम कल्याण और अन्य उद्देश्यों जैसे ईएसआई, ईपीएफ, पैन, लाइसेंसिंग खाद्य प्रतिष्ठानों आदि के लिए गठित वैधानिक प्राधिकरणों के साथ लागू और वैध पंजीकरण होगा, जो दस्तावेजी साक्ष्य और पंजीकरण के प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत समर्थित होंगे।	एमएसटीसी पोर्टल पर जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र और अन्य सभी लागू प्रमाण पत्र अपलोड करें। कृपया स्कैन की गई प्रतियां संलग्न करें और कंपनी प्रोफाइल के लिए अनुलग्नक XII देखें।
9.	खानपान FSSAI लाइसेंस: बोलीदाताओं / निविदाकर्ताओं के पास निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को वैध एफएसएसआई लाइसेंस होगा।	एमएसटीसी पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। कृपया स्कैन की गई प्रतियां संलग्न करें और कंपनी प्रोफाइल के लिए अनुलग्नक XII देखें।
10.	घोषणा: बोलीदाता/निविदाकर्ता अनुबंध-IV में यथा विनिर्दिष्ट वचनबद्धता/घोषणा को निविदाकर्ता के लेटर हेड पर अपलोड/प्रस्तुत करेगा कि एजेंसी/कंपनी/फर्म के विरुद्ध कोई मामला/न तो जांच/पूछताछ/विचारण के अधीन कोई मामला होना चाहिए/न ही कोई आरोप होना चाहिए और न ही इसे न्यायालय में दोषसिद्ध किया जाना चाहिए अथवा किसी संगठन द्वारा किसी आधार पर निलंबित/काली सूची में डाला जाना चाहिए। तथ्यों को छिपाने	एमएसटीसी पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार केवल बोलीदाता के लेटर हेड पर अंडरटेकिंग/घोषणा अपलोड करें।

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ के टीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

	और बाद में पता लगाने पर संविदा को रद्द कर दिया जाएगा/बोली को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।	
11.	बयाना धन जमा (EMD): निविदाकार ₹72,000/- (रु. बहत्तर हजार मात्र) की ईएमडी जमा करेगा। ईएमडी के बिना ई-निविदा बैंक द्वारा अस्वीकार कर दी जाएगी।	ईएमडी के प्रेषण के बारे में बैंक को ईमेल के माध्यम से सूचित करें।

निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं द्वारा अपलोड की गई निविदाएं जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और उपरोक्त सभी निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में से किसी एक के बिना हैं और निविदा में उल्लिखित अन्य नियमों और शर्तों को भी बैंक द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

अन्य शर्तें:

1. बोलीदाता/निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऑनलाइन ई-निविदा जमा करने से पहले पूर्व-योग्यता/पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्हें ई-निविदा के साथ सभी प्रासंगिक विवरण/जानकारी भी प्रस्तुत करनी चाहिए और एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना होगा।
2. बोलियों के संबंध में बैंक की राय/निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक किसी भी कारण बताए बिना किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. बोलीदाता/निविदाकर्ता अनुबंध में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार सेवा प्रदान किए गए ग्राहकों (वर्तमान और पिछले) की सूची अपलोड करेंगे। वित्त वर्ष 2019-20 से अधिक पुराने निविदाकर्ता के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहकों से ग्राहकों की सूची, वर्तमान और पिछले असाइनमेंट प्रमाण पत्र, खानपान सेवाओं में लगे संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. बैंक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि/संतुष्टि के लिए इनमें से किसी भी ग्राहक से संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने ग्राहकों और बैंकों से बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं के पिछले निष्पादन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। यदि कोई बोलीदाता/निविदाकर्ता किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपेक्षित पात्रता को पूरा नहीं करता पाया जाता है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकों से प्राप्त उसकी निष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ईएमडी को निविदाकर्ता को यथावत लौटा दिया जाएगा। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
5. बैंक अपूर्ण ई-निविदा फॉर्म या बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जहां निविदा को खाली छोड़ दिया गया है और या यदि प्रस्तुत जानकारी भ्रामक पाई जाती है (जैसा कि अन्य बाहरी स्रोतों से बैंक से देखा गया है)।
6. यदि किसी संगठन में बोलीदाताओं/निविदाकारों का निष्पादन किसी भी कारण से असंतोषजनक पाया जाता है,

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ के टीन में खानपान सेर्ाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

तो बैंक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. बोली के संबंध में बैंक की राय/निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध पुरस्कार से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे निविदाकर्ताओं को कोई दायित्व नहीं मिलता है या कोई कारण निर्दिष्ट नहीं होता है। इसके अलावा, यदि प्रस्तुत की गई सूचना गलत या भ्रामक पाई जाती है या बोलियां सशर्त होती हैं तो बोलियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।
8. वित्तीय बोली (भाग-II) खोलने से पहले किसी भी समय, यदि बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज या जानकारी गलत पाई जाती है, तो बैंक द्वारा निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
9. बोलीदाता के पास अधिमानत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) से प्रमाण पत्र होना चाहिए। बोलीदाता को सभी संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
10. बोलीदाता को दस्तावेजों के साथ प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस / पुलिस सत्यापन और वैधानिक अनुपालन के लिए उनकी मौजूदा व्यावसायिक प्रक्रियाएं मजबूत हैं।
11. बोलीदाता बैंक से पूर्व सहमति या अनुमोदन के बिना किसी भी श्रमिक को नियोजित नहीं करेगा।
12. विक्रेता द्वारा नियोजित सभी श्रमिक सदस्यों के पास उचित पुलिस सत्यापन और चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेता इस संबंध में बैंक को एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
13. बोलीदाता (ओं) के पास अपने कार्यबल (उद्देश्य के लिए तैनात किए जाने के लिए) का पुलिस सत्यापन करने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और उनके आचरण/अनियमित व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा।
14. यदि किसी संगठन में किसी भी कारण से बोलीदाता का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
15. किसी भी अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल हुए बिना बोलीदाता (ओं) का ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म के मामले में बोलीदाता अथवा भागीदारों/स्वामित्वकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय/विनियामक प्राधिकरणों में कोई मामला नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक वचन निविदा दस्तावेज के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
16. बोलीदाता (ओं) पर पिछले 15 वर्षों में किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक कानूनों के उल्लंघन के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया होगा या कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में एक वचन पत्र निविदा दस्तावेज के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
17. बोलीदाता को पिछले 10 वर्षों में किसी भी आधार पर भारत में किसी भी स्थान पर रिज़र्व बैंक सहित किसी भी संगठन द्वारा निलंबित/असूचीबद्ध/काली सूचीबद्ध/समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक वचन पत्र

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैं टीन में खानपान सेर्ाएं प्रदान करने और रखरखार् के धलए ई-धन धर्दा

निविदा दस्तावेज के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

18. बोलीदाता को पिछले 10 वर्षों में अनुबंध की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले अपने किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी अनुबंध को रद्द/परित्यक्त नहीं करना चाहिए। बोलीदाता अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देगा और उसकी वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करेगा।
19. एकल स्वामित्व फर्म के मामले में, मालिक को ठेका दिए जाने के बाद मालिक को किसी अन्य इकाई / मालिक के साथ साझेदारी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, फर्म को बैंक की सहमति के बिना कंपनी बनाने की अनुमति नहीं है।
20. बोलीदाता उपर्युक्त सभी पात्रता मानदंडों के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित अन्य निबंधन एवं शर्तों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज:

ई-निविदा जमा करते समय पीडीएफ प्रारूप में 'एमएसटीसीईकॉमर्स' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति (प्रत्येक फ़ाइल का आकार 5 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए)। डेटा सबमिशन प्रारूपों के लिए अनुलग्नक I-XIV देखें।

- i. निविदा के विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म, समझौते के लेख, कार्य का दायरा, और नियम और शर्तें, तकनीकी बोली के साथ सभी अनुलग्नक संलग्न करें।
- ii. निगमन दस्तावेज।
- iii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए लेखा परीक्षित आयकर रिटर्न/पावती/मूल्यांकन आदेश।
- iv. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए।
- v. कार्य अनुभव से संबंधित सभी दस्तावेज, कार्य आदेश, पूर्णता प्रमाण पत्र और अन्य विवरणों द्वारा समर्थित।
- vi. कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस/पुलिस सत्यापन के लिए मजबूत मौजूदा व्यावसायिक प्रक्रियाओं के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य।
- vii. कर्मचारी भविष्य निधि पंजीकरण प्रमाण पत्र, ईएसआईसी पंजीकरण प्रमाण पत्र और अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 के तहत लाइसेंस की प्रति।
- viii. पैन और जीएसटी पंजीकरण की प्रति जहां भी लागू हो।
- ix. वार्षिक कारोबार का प्रमाण, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित।
- x. एमएसएमई प्रमाणपत्र (उद्यम) की प्रति यदि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत है।
- xi. फर्म की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकरण पत्र। (जैसा लागू हो)
- xii. एफएसएसआई के साथ पंजीकरण की प्रति।
- xiii. सभी आईएसओ प्रमाणपत्रों की प्रतियां।

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ के टीन में खानपान सेर्ाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

- xiv. वर्तमान और पिछले ग्राहकों का विवरण (ईमेल-आईडी और संपर्क नंबर सहित पूरा पता)
- xv. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम पर कंपनी/फर्म/संस्था की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण। (जैसा लागू हो) यदि भविष्य में विभिन्न कारणों से पीओए अयोग्य हो जाता है, तो इसकी सूचना बैंक को देनी होगी अन्यथा बैंक पीओए की प्रत्येक कार्रवाई को कंपनी/फर्म/संस्था की कार्रवाई मानेगा।
- xvi. कोई अन्य दस्तावेज या जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है (कोई मुकदमेबाजी, अदालत का मामला, जुर्माना, निलंबन, आदि)
- xvii. उपरोक्त जानकारी/दस्तावेजों को सभी बोलीदाताओं द्वारा संलग्न प्रोफार्मा में भाग-I (तकनीकी बोली) के साथ संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करके प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ताकि बैंक निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनकी पात्रता को सत्यापित कर सके। ई-निविदा का भाग-1 प्रस्तुत करते समय बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को ई-निविदा के भाग-I के खुलने के बाद यथासमय जांच की जाएगी। इन दस्तावेजों की जांच के दौरान, बैंक बोलीदाताओं को अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति या सत्यापन के उद्देश्य से बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य अतिरिक्त दस्तावेज, यदि हां, प्रस्तुत करने की सलाह दे सकता है।

निविदा के भाग-I के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद, केवल उन बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत भाग-II (मूल्य बोली) जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करते हैं, बैंक द्वारा ऐसी किसी भी तारीख को खोलने के लिए विचार किया जाएगा जिसे योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा। उन बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत भाग-II (मूल्य बोली) जो अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं (तकनीकी बोली) अस्वीकृत कर दी जाएंगी और उनके द्वारा प्रेषित ईएमडी को निविदा प्रदान किए जाने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा, और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक उपर्युक्त दस्तावेजों में से किसी के भी प्रमाण/सत्यापन के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोलीदाता द्वारा किए गए सभी प्रस्तुतीकरण/घोषणाएं/दावे केवल उनके लेटरहेड पर होने चाहिए, और दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर कंपनी का नाम और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।

इच्छुक निविदाकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से ₹ 72,000/- (रु. बहत्तर हजार मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी) खाता संख्या: 186003001 और आईएफएससी: RBIS0PJPA01 में जमा करनी होगी। ईएमडी के बिना निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। यदि बोलीदाता निविदा वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है या कार्य सौंपे जाने पर निविदा निष्पादित करने में विफल रहता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे निविदा अपलोड करते समय एनईएफटी के माध्यम से हस्तांतरित ईएमडी का विवरण अपलोड करें। ईएमडी में कोई ब्याज नहीं होगा। यह राशि असफल बोलीदाताओं को कार्य प्रदान किए जाने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता के मामले में, निविदा प्रदान करने की तारीख से 07 दिनों के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, वैध बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने की तारीख से एक (1) महीने की अवधि के भीतर ईएमडी वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा, यदि बोलीदाता निविदा वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या कार्य सौंपने की तारीख से 07 दिनों के

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों के लाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कैंटीन में खानपान से आग्रह करने और रखरखाव के ध्यान देने की आवश्यकता

भीतर अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता है।

बोली पूर्व बैठक: - एक ऑफलाइन प्री-बिड बैठक 31 जुलाई 2025 (1100 बजे) को मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 7वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम- II, पट्टो प्लाजा, पणजी, गोवा में आयोजित की जाएगी। बैंक निविदा के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु / संदेह को स्पष्ट करेगा। इस बैठक के लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बैठक के दौरान अपने सभी मुद्दों/संदेहों को स्पष्ट कर दें।

साइट का दौरा: - बोलीदाता को साइट की स्थितियों और स्थानों (अर्थात्, कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, 7 वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम- II, पट्टो प्लाजा, पणजी, गोवा में ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन और बैंक के सेंट इनेज स्टाफ क्वार्टर में रसोईघर, सेंट इनेज चर्च, सेंट इनेज, पणजी, गोवा के सामने) का दौरा करने और खुद को परिचित करने की सलाह दी जाती है।

प्रचार करना- बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा किसी लाभ का प्रचार करना या लाभ की पेशकश करना या कोई अन्य प्रलोभन देना संप्रभु कानूनों के अधीन अपराध होगा। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा तय किए गए अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा, बोली की अस्वीकृति होगी।

निविदा को खोलना :-

भाग- I तकनीकी बोली 12 अगस्त, 2025 (1730 बजे) को भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में खोली जाएगी। उन निविदादाताओं की बोलियां जिन्होंने इस ई-निविदा के पात्रता मानदंड और नियमों और शर्तों में निर्धारित शर्तों में से एक या अधिक का अनुपालन नहीं किया है, सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

केवल उन्हीं निविदाकारों की भाग-II वित्तीय बोली, जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करते हैं, बाद की तारीख को खोली जाएगी, जिसके लिए सूचना केवल योग्य निविदाकर्ताओं को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जैसा कि निविदाकर्ता द्वारा भाग-I, तकनीकी बोली में उल्लेख किया गया है।

भाग-I (तकनीकी बोली) और भाग-II (वित्तीय बोली) दोनों में निविदाकर्ताओं द्वारा कोई विचलन/शर्तें निर्धारित नहीं की जाएंगी और सशर्त बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसका निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

इस संबंध में निर्णय बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

बयाना धन जमा (ईएमडी): - एनईएफटी द्वारा ₹72,000/- (बहत्तर हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी) केवल एनईएफटी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी के पक्ष में 12 अगस्त, 2025 (1300 बजे तक) तक खाता संख्या: 186003001 और आईएफएससी: RBIS0PJPA01 में प्रस्तुत की जानी है। इस शर्त का पालन करने में विफलता

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ के टीन में खानपान से स्टाफ प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

निविदा को शून्य कर देगी और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। निविदा जारी करने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर सभी असफल बोलीदाताओं को ईएमडी की राशि वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता के मामले में, निविदा प्रदान करने की तारीख से 07 दिनों के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, वैध बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने की तारीख से एक (1) महीने की अवधि के भीतर ईएमडी वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा, यदि बोलीदाता निविदा वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या कार्य सौंपने की तारीख से 07 दिनों के भीतर अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता है।

निष्पादन बैंक गारंटी - सफल बोलीदाता करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से (01) माह के भीतर अनुबंध-V में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर, एजेंसी/ठेकेदार को उचित मूल्य (जैसा लागू हो) के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक समझौता/अनुबंध करना आवश्यक होगा। निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफलता को संविदा के अंतर्गत कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप संविदा का प्रस्ताव रद्द हो जाएगा और आवेदक बैंक द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए निविदाकर्ता को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। निष्पादन बैंक गारंटी बैंक द्वारा अनुबंध अवधि के पूरा होने के 2 महीने के बाद और अनुबंध के सफल समापन के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होने और एजेंसी/ठेकेदार या उसके कर्मचारियों से कोई देयता नहीं होने के बाद ही जारी की जाएगी। एजेंसी/ठेकेदार के विरुद्ध प्राप्त किसी शिकायत के मामले में, निष्पादन बैंक गारंटी बैंक द्वारा सभी देयताओं, देयताओं को समायोजित करने के बाद ही अदा की जाएगी। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कार्य निष्पादन बैंक गारंटी के किसी भाग या संपूर्ण राशि को एजेंसी/ठेकेदार की ओर से विफलता के कारण अथवा संविदा की समाप्ति अथवा परिसमापन/दिवाला अथवा संरचना में परिवर्तन के कारण अयोग्य घोषित होने के कारण हुए नुकसान की वसूली कर सकता है। ऐसे नुकसानों, क्षतियों, प्रभारों, खर्चों या लागतों आदि के संबंध में बैंक का निर्णय एजेंसी/ठेकेदार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और बैंक के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जाएगा/चुनौती नहीं दी जाएगी/विवादित नहीं होगा।

ग्राहक का प्रमाण पत्र: - पात्रता मानदंडों के अनुसार अनुबंध- II में निर्दिष्ट ग्राहक का प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किया जाएगा।

बैंकर का प्रमाण पत्र: - पात्रता मानदंड के अनुसार अनुलग्नक- III में निर्दिष्ट एक बैंकर का प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किया जाएगा।

अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में किसी भी भागीदारी के बिना ठेकेदार का ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म के मामले में ठेकेदार या प्रोपराइटर/पार्टनर के खिलाफ पुलिस/कोर्ट/नियामक/सतर्कता प्राधिकरणों में कोई मामला नहीं होना चाहिए।

ठेकेदार पर किसी भी संबंधित प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक कानूनों के उल्लंघन के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया होगा या कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

ठेकेदार को रिज़र्व बैंक सहित किसी भी संगठन द्वारा पूरे भारत में किसी भी स्थान पर किसी भी आधार पर

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ के टीन में खानपान सेर्ाएं प्रदान करने और रखरखाव के धलए ई-धन धर्दा

निलंबित/सूचीबद्ध/काली सूचीबद्ध/बर्खास्त नहीं किया गया होगा।

ठेकेदार को अनुबंध की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले अपने किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी अनुबंध को रद्द/परित्यक्त नहीं करना चाहिए। बोलीदाता अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों (निपटाए गए और चल रहे दोनों) का विवरण देगा और उसकी वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करेगा।

बोली की मुद्रा:

बोली मूल्य केवल भारतीय रुपए में उद्धृत किए जाएंगे। इन कीमतों में काम से जुड़ी सभी लागतें शामिल होंगी, जिनमें जेब से / जुटाना / परिवहन व्यय, उपकरण, श्रमिकों की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक्स, सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, लेवी, उपकर, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर, श्रम, अन्य सरकारी कर, आदि शामिल हैं।

दरों को वित्तीय बोली के अनुरूप सख्ती से उद्धृत किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई कॉलम खाली न हो। यदि कोई कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है, तो इसे उचित रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय बोली के सभी कॉलम विधिवत भरे गए हैं, और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। भाग-II वित्तीय बोली खोले जाने के बाद, बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि भाग-II वित्तीय बोली का कोई कॉलम खाली पाया जाता है तो संबंधित निविदाकर्ताओं की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और बैंक द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसे निविदाकर्ता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। तथापि, यदि आवश्यक हो तो बैंक निविदा खंड के अनुसार इस मामले में समीक्षा भी कर सकता है।

समझौते का निष्पादन:

एजेंसियों/फर्मों के लिए कार्यों और सेवाओं के नियम और शर्तें और दायरे और इससे पहले संदर्भित विशेष शर्तें, सफल ठेकेदार के साथ किए जाने वाले समझौते का आधार और भाग और पार्सल होंगी।

ई-निविदा की स्वीकृति के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को निष्पादित करने और उसमें निर्दिष्ट तारीख से इसे लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। सफल निविदाकर्ता पणजी में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार उक्त समझौते पर उचित और आवश्यक स्टाम्प शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, दंड या एजेंसी/ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की अपर्याप्तता या अनुपयुक्तता के कारण बैंक द्वारा वहन की गई कोई भी आर्थिक देयता एजेंसी/ठेकेदार को हस्तांतरित की जाएगी और बैंक निष्पादन बैंक गारंटी से या प्रस्तुतकर्ता द्वारा उठाए गए बिलों से या किसी अन्य वैध तरीके से राशि वसूलने का हकदार होगा। जहां उक्त प्रयोजन के लिए निष्पादन बैंक गारंटी का उपयोग किया जाता है, वहां एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म उपयोग की गई राशि की तत्काल भरपाई कर देगी। ऐसा करने में विफलता समझौते में एक महत्वपूर्ण अवधि का उल्लंघन हो सकती है और बैंक द्वारा तय किए गए लागू परिणाम, उसके बाद होंगे।

भारतीय ररज़र्वबैंक, पणजी में अधिकारियों केलाउंज और भोजन कक्ष (ओएलडीआर) और स्टाफ कै टीन में खानपान सेर्ाएं प्रदान करने और रखरखार् के धलए ई-धन धर्दा

करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में बैंक और बोली लगाने वाले के बीच बाध्यकारी करार नहीं होगी, चाहे ऐसी संविदा बाद में निष्पादित की गई हो या नहीं।

बैंक पात्रता मानदंड के लिए पार्टियों की क्षमता और क्षमता का आकलन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी/सभी निविदाओं या उनके किसी भी हिस्से को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक के पास सबसे कम उद्धृत निविदा स्वीकार करने का कोई दायित्व नहीं है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

13. स्टाम्प ड्यूटी - सफल बोलीदाता सभी लागू स्टाम्प शुल्क वहन करेगा।

1.3 मौजूदा संविदाओं की संख्या केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी लाउंज/कैंटीन, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बड़े कारपोरेट कार्यालयों/मकानों (जिनका वाषक कारोबार ₹ 250 करोड़ या उससे अधिक है), राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे आईआईएम, आईआईटी आदि या विश्वविद्यालयों/प्रतिष्ठित कॉलेजों/प्रशिक्षण अकादमियों/हवाई अड्डों/रेस्तरां में खानपान सेवाओं के क्षेत्र में चल रहे अनुबंधों की संख्या।

क्रमांक	विवरण	अंक
a)	सात से अधिक चल रहे अनुबंध/चार या अधिक चल रहे आउटलेट वाले रेस्तरां	20 अंक
b)	पांच से अधिक लेकिन सात से कम या बराबर चल रहे ठेके/तीन चल रहे आउटलेट वाले रेस्तरां	16 अंक
c)	तीन से अधिक लेकिन पांच से कम या बराबर चल रहे ठेके/दो चल रहे आउटलेट वाले रेस्तरां	12 अंक
d)	तीन चल रहे अनुबंध/ एक चल रहे आउटलेट वाले रेस्तरां	8 अंक

1.4 केंद्र/राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों/मकानों (₹ 250 करोड़ या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले), राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे आईआईएम, आईआईटी आदि या विश्वविद्यालयों/प्रतिष्ठित कॉलेजों/प्रशिक्षण अकादमियों/हवाई अड्डों के एक अधिकारी लाउंज / कैंटीन में लगातार खानपान सेवा प्रदान करने के वर्षों की संख्या/ एक या एक से ज्यादा आउटलेट संचालित करने वाले रेस्तरां

क्रमांक	विवरण	अंक
a)	7 वर्ष से अधिक	20 अंक
b)	05 वर्ष से अधिक और 07 वर्ष तक	16 अंक
c)	03 वर्ष से अधिक और 05 वर्ष तक	12 अंक
d)	3 वर्ष तक	8 अंक

पात्र बोलीदाता को अंक दिए जाएंगे और अंतिम तकनीकी स्कोर (एसटी) की गणना की जाएगी। बोलीदाता जो कुल अंकों का न्यूनतम 60% यानी 48 अंक सुरक्षित करते हैं, वित्तीय बोली के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार योग्य बोलीदाताओं को उनके अंकों के आधार पर रैंक और नाम दिया जाएगा, जिसमें उच्चतम नाम T1/T2/T3 के रूप में और आगे कुल अंकों के 60% तक यानी 48 अंकों तक सबसे कम स्कोरर तक होगा। समान अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को समान नाम दिया जाएगा। इस तरह के नामकरण के बाद, उच्चतम तकनीकी स्कोर (ST1) को 100 अंकों का तकनीकी स्कोर (ST1) दिया जाएगा जैसे कि T1 = ST1। अन्य तकनीकी बोलियों के वित्तीय स्कोर (एसटी 2 / एसटी 3 / एसटी 4 और सबसे कम तकनीकी स्कोर तक) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

उदाहरण:

टी 1 = एसटी 1।

$ST2 = (T2/T1) \times 100$ जिसमें ST2 दूसरे सबसे ऊँचे बोलीदाता का तकनीकी स्कोर है, T1 तकनीकी बोली में प्राप्त उच्चतम अंक है और T2 विचाराधीन तकनीकी बोली में प्राप्त दूसरा उच्चतम अंक है। सभी बोलीदाताओं के लिए एसटी स्कोर की समान गणना की जाएगी।

उपरोक्त मानदंडों के लिए सभी सहायक दस्तावेजों को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अन्य स्थानों पर कार्य/इसी प्रकार के अनुबंध के संबंध में दावे को सत्यापित करने के लिए, बैंक संबंधित बोलीदाताओं/संबंधित निकायों से जानकारी/रिपोर्ट मांग सकता है।

2. वित्तीय बोली का मूल्यांकन

2.1 तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद, वाणिज्यिक मूल्यांकन के उद्देश्य से केवल योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोलियां बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से खोली जाएंगी जो बैठक में भाग लेने का विकल्प चुनते हैं (प्रति बोलीदाता केवल एक प्रतिनिधि)। बोलीदाता का नाम और प्रस्तावित मूल्य जोर से पढ़े जाएंगे और वित्तीय बोलियां खोले जाने पर दर्ज किए जाएंगे। बोलीदाता को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि उसकी बोली की तर्कसंगतता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

2.2 बोलीदाताओं को मूल्य बोली के वित्तीय बोली प्रारूप के अनुसार बोली लगाना अपेक्षित है। वित्तीय बोलियों को शुरू में एल 1 / एल 2 / एल 3 के रूप में नामित किया जाएगा ताकि उच्चतम बोली तक। सबसे कम वित्तीय बोली (L1) को 100 अंकों का वित्तीय स्कोर (SF1) दिया जाएगा जैसे कि $L1 = SF1$ । अन्य वित्तीय बोलियों के वित्तीय स्कोर (एसएफ2/एसएफ3/एसएफ4 इत्यादि और उच्चतम वित्तीय बोली तक) की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

उदाहरण:

$SF2 = (L1/L2) \times 100$ जिसमें SF2 दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाले का वित्तीय स्कोर है, L1 सबसे कम कीमत की पेशकश/सबसे कम वित्तीय बोली है और L2 विचाराधीन दूसरी सबसे कम बोलीदाता की कीमत की पेशकश/वित्तीय बोली है।

3. अंतिम मूल्यांकन

3.1 तकनीकी और वित्तीय बोली के संयोजन के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा। निविदा के प्रस्तावों को उनके संयुक्त तकनीकी (एसटी) और वित्तीय (एसएफ) स्कोर के अनुसार वजन (टी = 0.30 और एफ = 0.70) का उपयोग करके रैंक किया जाएगा।

उदाहरण: अंतिम स्कोर (S1) सूत्र की गणना नीचे दी जाएगी:

एस 1 = एसटी 1 X टी + एसएफ 1 X एफ

जिसमें S1 संबंधित बोलीदाता का अंतिम स्कोर है, ST1 उसी बोलीदाता का तकनीकी स्कोर है और SF1 उसी बोलीदाता का वित्तीय स्कोर है।

3.2 यह कार्य उस बोलीदाता/निविदाकर्ता को सौंपा जाएगा जो उच्चतम अंतिम स्कोर (एस) प्राप्त करेगा अर्थात तकनीकी और वित्तीय दोनों का संयुक्त स्कोर।

भाग-I, खंड-V

अनुबंध का दायरा

1. पणजी में बैंक के कार्यालय में ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन में कर्मचारियों की तैनाती: -

कर्मचारियों की तैनाती निम्नानुसार होगी:

क्र.सं	विवरण	कुशलता	जनशक्ति की आवश्यकता
1.	पर्यवेक्षक	कुशल	01
2.	रसोइया	कुशल	03
3.	वेटर/रसोई सहायक	अकुशल	05
कुल			09

2. कैटरिंग स्टाफ की जिम्मेदारी:

2.1 पर्यवेक्षक:

- i) सरकारी विभाग (केंद्रीय / राज्य) / पीएसयू (केंद्रीय / राज्य) / प्रतिष्ठित निजी कंपनियों / बहुराष्ट्रीय कंपनियों / सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों / न्यूनतम तीन सितारा होटल / रेस्तरां में कम से कम तीन (03) वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए।
- ii) विनम्र और विनम्र आचरण का होना चाहिए।
- iii) ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन के समग्र कामकाज और इसकी सफाई के लिए जिम्मेदार होगा।
- iv) वह व्यक्तिगत रूप से ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन में प्रदान किए जाने वाले भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- v) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, फर्नीचर आदि हमेशा निरंतर जांच के माध्यम से उचित क्रम / काम करने की स्थिति में हैं और किसी भी मुद्दे के बारे में ओएलआर डेस्क को सूचित करें।
- vi) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बर्तन, क्राँकरी, रसोई के उपकरण साफ और कार्य क्रम में हैं।
- vii) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रसोई साफ और उचित स्वच्छ स्थिति में रखी गई है।
- viii) टेलीफोन/मोबाइल और ईमेल संचालित करें।
- ix) कुक और अन्य सहयोगी स्टाफ के समग्र कामकाज की निगरानी और जांच करेंगे।
- x) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन पर्याप्त मात्रा में (आवश्यकता के अनुसार) समय पर तैयार किया जा रहा है और कर्मचारियों को ठीक से परोसा जा रहा है।
- xi) समय पर बैंक को बिल जमा करेंगे।
- xii) बैंक के साथ विक्रेता का संपर्क बिंदु होगा।
- xiii) यह सुनिश्चित करेंगे कि संकेतित ब्रांडों की अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति ओएलडीआर और स्टाफ

कैंटीन में की जाती है।

xiv) अभिनव रूप से तलाशने और नए/वैकल्पिक खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

2.2 रसोईया :

- i) रसोइयों को सरकारी विभाग (केंद्रीय/राज्य) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सुस्थापित रसोईघर में खाना पकाने का न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव होना चाहिए (केंद्र/राज्य)(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- ii) होना चाहिए दोपहर के भोजन / नाश्ते की वस्तुओं के लिए उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और चीनी व्यंजनों को पकाने में पारंगत। (आवश्यकतानुसार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों)
- iii) रसोई में स्वच्छता बनाए रखना चाहिए।
- iv) रसोई में सहायक कर्मचारियों को काम सौंपना चाहिए।
- v) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय पर अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन समय पर तैयार किया जाए।
- vi) उचित अपशिष्ट/बचे हुए भोजन के निपटान की निगरानी करनी चाहिए।

2.3 वेटर/ किचन हेल्पर:

- i) सभी खानपान कर्मचारियों को खानपान सेवाएं प्रदान करने में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- ii) विनम्र और विनम्र होना चाहिए।
- iii) मेहमानों और आगंतुकों की सेवा के लिए हमेशा मांग पर उपलब्ध रहने के लिए।
- iv) ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन में स्वच्छ और स्वच्छ तरीके से भोजन परोसना चाहिए।
- v) बैंक के कर्मचारियों पानी/चाय/कॉफी/नाश्ता उनके संबंधित केबिन/टेबल, मीटिंग हॉल, सम्मेलन आदि में स्वच्छ और स्वच्छ तरीके से परोसें।
- vi) डाइनिंग टेबल को हमेशा साफ और प्रेजेंटेबल रखना चाहिए।
- vii) कर्मचारी के साथ पूछताछ करनी चाहिए और अनुरोध पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ प्रदान करना चाहिए।
- viii) कर्मचारी को सेवा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।
- ix) झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना चाहिए और फर्नीचर आदि को धूल देना चाहिए।
- x) OLDR और स्टाफ कैंटीन के बर्तनों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए।
- xi) रसोइयों को सब्जियों/फलों को काटने/भंडारण, खाना पकाने या रसोइयों या पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य में सहायता करनी चाहिए।
- xii) बैंक के अधिकारियों के केबिन में बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली पेयजल के साथ केटल्स/थर्मस आदि की रिफिलिंग/सफाई करना।
- xiii) केवल उचित वर्दी और प्रस्तुत करने योग्य पोशाक में होना।

3. खानपान सेवाएं: -

- a) बैंक के कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य और पेय सेवाएं प्रदान करना।

- b) सफल बोलीदाता/निविदाकर्ता निम्नलिखित खानपान सेवाएं प्रदान करेगा:
- i) चाय के लिए विशेष चाय (सामान्य/मध्यम/उच्च)/नाश्ता/शाम का नाश्ता/दोपहर का भोजन (शाकाहारी/मांसाहारी), विशेष दोपहर का भोजन (शाकाहारी/मांसाहारी/गोवा शाकाहारी/गोवा मांसाहारी) बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित रसोई क्षेत्र में पकाया जाएगा।

वर्तमान में बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में रसोई की सुविधा केवल विशेष चाय (सामान्य/मध्यम/उच्च) सहित चाय तैयार करने और केवल नाश्ता/शाम के स्नैक्स आइटम पकाने के लिए पर्याप्त है। विक्रेता को बैंक के सेंट इन्ज क्वार्टर में रसोई में दोपहर के भोजन (शाकाहारी / मांसाहारी), विशेष दोपहर के भोजन (शाकाहारी / मांसाहारी / गोवा शाकाहारी / गोवा मांसाहारी) के लिए खाना पकाना होगा और इसे बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में 7 वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II, पट्टो प्लाजा, पणजी में ओएलडीआर / कैंटीन में परोसना होगा।

बोलीदाता सेंट इन्ज के क्वार्टरों से बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर पट्टो प्लाजा तक तैयार भोजन की दुलाई के लिए आवश्यक रसद (रसोई गैस की लागत सहित) की लागत को ध्यान में रख सकता है।

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन की खाना पकाने की सुविधा में, कोई एलपीजी आधारित (या कोई अन्य गैस आधारित) खाना पकाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है; हालांकि, भोजन पकाने के लिए बैंक की अपनी लागत पर बिजली आधारित गैजेट प्रदान किए जाएंगे।

- ii) अनुमोदित मेनू के अनुसार या बैंक द्वारा सलाह के अनुसार विशेष चाय (सामान्य/मध्यम/उच्च), कॉफी, नाश्ता, / दोपहर का भोजन (शाकाहारी / गैर-शाकाहारी), विशेष दोपहर का भोजन (शाकाहारी / गैर-शाकाहारी / गोवा शाकाहारी / गोवा गैर-शाकाहारी), शाम के स्नैक्स आदि सहित चाय तैयार करें और परोसें।
- iii) मेनू के समग्र दायरे के भीतर, विशिष्ट अतिथियों/विशेष अवसरों/कार्यक्रमों/कार्यों के लिए मेनू में बदलाव किया जा सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा वांछित है।
- iv) सफल बोलीदाता किराने की वस्तुओं और सामग्रियों की खरीद के लिए जिम्मेदार होगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ताजा उपभोज्य वस्तुएं और अनुबंध VIII में निर्दिष्ट केवल अच्छी गुणवत्ता और प्रतिष्ठित ब्रांड पैक सामग्री का उपयोग खाद्य और पेय पदार्थों की तैयारी में किया जाएगा।
- v) ताजी सब्जियां/फल और दूध, मानक पेय पदार्थों का उपयोग किया जाएगा। बैंक अपने विवेक पर नियमित रूप से औचक निरीक्षण करेगा और उन्हें उपयोग की जाने वाली उपभोज्य वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए।
- vi) सफल बोलीदाता समय पर खाद्य पदार्थों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का भंडारण करेगा। ठेकेदार अपने जोखिम पर खरीद और भंडारण करेगा।
- vii) सेवाओं का समय बैंक द्वारा सूचित किया जाएगा। बैंक समय बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- viii) एक बार तैयार भोजन का उपयोग केवल उस विशिष्ट सेवा के लिए किया जाएगा और बचा हुआ भोजन अगली भोजन सेवा के दौरान नहीं परोसा जाएगा।
- ix) सफल बोलीदाता सभी सदस्यों को कुशल और त्वरित सेवा प्रदान करेगा।
- x) भोजन तैयार करना बिना किसी समझौते के सख्त स्वच्छ वातावरण में किया जाना है। ठेकेदार के स्टाफ सदस्यों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे ड्यूटी के दौरान अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ-साथ साफ-

सुथरी और उचित वर्दी पहनें, जैसा कि धारा VI के खंड 13 में विनिर्दिष्ट है।

- xi) सफल बोलीदाता खाना पकाने और भोजन परिसर की कुल सफाई और ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन और रसोई के उपकरणों, चिमनी, फ्रिज, जल शोधक आदि की दैनिक सफाई सुनिश्चित करेगा।
- xii) सफल बोलीदाता बैंक अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के लिए सौंपे गए कार्यों/सेवाओं को पूरा करेगा। यदि कोई कमी पाई जाती है तो बैंक अधिकारियों के निर्देश पर ठेकेदार तत्काल कमी को दूर करेगा।
- xiii) सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वह सभी प्रकार के भोजन तैयार करने के लिए ऊपर निर्दिष्ट रूप से योग्य और अनुभवी पर्यवेक्षक, रसोइये और वेटर/रसोई सहायकों को नियुक्त करे।
- xiv) सफल बोलीदाता बैंक द्वारा निर्देश दिए जाने पर ही बाहर की तैयारी/भोजन की व्यवस्था और सेवा करेगा और बैंक द्वारा अनुमोदित नियमित बिलों के साथ प्रतिपूर्ति का दावा करेगा।
- xv) सफल बोलीदाता संविदा में निर्धारित पूर्व निर्धारित मूल्य पर अथवा तत्पश्चात् पारस्परिक रूप से सहमत किसी भी अथवा सभी खानपान अपेक्षाओं को पूरा करेगा चाहे वे कवर किए गए संविदात्मक रूप से हों अथवा अन्यथा।
- xvi) ओएलडीआर/स्टाफ कैंटीन चलाने के लिए बैंक द्वारा अपने खर्च पर आपूर्ति की जाने वाली सभी वस्तुएं सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए बैंक की संपत्ति होंगी। अनुचित हैंडलिंग के कारण टूट-फूट/चोरी/क्षति/उठाईगिरी या ऐसी किसी भी सामग्री/उपकरण/जुड़नार/फर्नीचर की हानि के कारण होने वाली हानियों की वसूली सफल बोलीदाता से पूरी लागत पर की जाएगी।
- xvii) ऐसी किसी भी वस्तु की प्राकृतिक टूट-फूट के संबंध में, बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सफल बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा। सामान्य टूट-फूट के कारण क्षति/टूट-फूट के लिए रिकार्ड ठेकेदार द्वारा समय-समय पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए रखा जाना होगा। ठेकेदार को बैंक में स्थापित वाटर डिस्पेंसर को फिर से भरना भी आवश्यक है। आरओ पानी की बोतलें बैंक द्वारा प्रदान की जाएंगी।
- xviii) सफल बोलीदाता, यदि ऐसा चाहता है, तो कैंटीन में पैक किए गए स्नैक्स और गैर-मादक पेय भी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं बेच सकता है।
- xix) बैंक द्वारा अपेक्षित कोई भी आकस्मिक सेवा जिसका यहां उल्लेख नहीं किया गया है, सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान की जानी होगी।
- xx) सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार), और अन्य सभी ऐसे दिनों पर सेवाएं प्रदान करेगा जो बैंक द्वारा आवश्यक हो सकते हैं। इसके अलावा, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, तो सेवाओं को कार्यालय समय के बाद प्रदान करना होगा।

भाग-I, खंड-VI

नियम और शर्तें

समझौते के लेख

पणजी में निष्पादित और _____ 2025 _____ दिन भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका एक भाग पणजी में कार्यालय (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) और दूसरी ओर _____ या कानूनी उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों (जिन्हें इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा) के बीच किया गया था। यह समझौता 01 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक वैध है।

जबकि बैंक का इरादा भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में ऑफिसर्स लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर) और स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए ठेकेदार को नियुक्त करने का है और उसने किए जाने वाले कार्य का वर्णन करते हुए विनिर्देश निर्धारित किए हैं [जैसा कि निविदा दस्तावेजों (भाग I, भाग II, अनुलग्नक और उसके संशोधन) में विस्तृत है]।

और जबकि उक्त विनिर्देशों और कार्य के दायरे [जैसा कि निविदा दस्तावेजों (भाग I, भाग II, अनुलग्नक और उसके संशोधन) में विस्तृत है] पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षरित किया गया है।

1. अनुबंध की अवधि:-

बैंक और ठेकेदार जिसे कार्य सौंपा गया है, के बीच अनुबंध 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा। बैंक ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा के अधीन पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर बैंक द्वारा तय की गई एक और अवधि के लिए अनुबंध की अवधि का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन किसी भी मामले में, इसे दो साल से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

कोई भी पक्ष लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीनों का नोटिस देकर समझौते को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। तथापि, नोटिस अवधि के दौरान ठेकेदार अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से इसे समाप्त न कर दिया जाए। नोटिस अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में, बैंक को ठेकेदार की निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने का अधिकार होगा।

2. दर : उद्धृत अंतिम कीमतों में सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), उत्पाद शुल्क, स्थानीय लेवी, कार्य अनुबंध कर आदि केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए/लगाए जाने और अन्य उपरि व्यय शामिल होंगे। यदि ठेकेदार निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. भुगतान की शर्तें : उद्धृत दरें संविदा की अवधि के लिए मान्य होंगी। संविदा की वैधता अवधि के दौरान दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन के लिए प्रदान की गई सेवाओं और श्रम से संबंधित जीएसटी का भुगतान बैंक द्वारा ठेकेदार को किया जाएगा। टीडीएस, अधिभार और शिक्षा उपकर (जैसा लागू हो) और समय-समय पर सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य करों को आयकर अधिनियम के संदर्भ में स्रोत पर काट लिया जाएगा।

ठेकेदार नियोजित व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ मजदूरी की प्रतिपूत के लिए बिल तैयार करेगा और विचाराधीन माह के दौरान सभी तैनात जनशक्ति को वेतन/मजदूरी के संवितरण के बाद ही बैंक को प्रस्तुत करेगा। बैंक द्वारा भुगतान केवल एनईएफटी मोड के माध्यम से पूर्ण बिल जमा करने के 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा, बशर्ते नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण बिल प्रस्तुत किए जाएं:

- i. वर्तमान माह चालान प्रति
- ii. वर्तमान माह उपस्थिति रजिस्टर
- iii. समेकित ब्रेकअप विवरण के साथ ईएसआई प्रेषण चालान की वर्तमान महीने की प्रति।
- iv. ईपीएफ प्रेषण चालान की वर्तमान महीने की प्रतिलिपि, जैसा लागू हो, समेकित ब्रेकअप विवरण के साथ
- v. ठेकेदार द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों का बैंक खाता विवरण।
- vi. ठेकेदार द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में कोई भी आपत्ति भुगतान की तारीख के 10 दिनों के भीतर बैंक के ध्यान में लाई जा सकती है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

4. नाश्ता/दोपहर का भोजन/चाय/कॉफी का समय:

- i. नाश्ते का समय सुबह 09:30 बजे से 11:00 बजे तक भिन्न हो सकता है
- ii. दोपहर के भोजन का समय दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक भिन्न हो सकता है।
- iii. शाम के नाश्ते का समय शाम 04.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक भिन्न हो सकता है।
- iv. उपरोक्त समय बैंक के विवेकानुसार बदला जा सकता है।
- v. ठेकेदार बैंक के सभी कर्मचारियों को उनकी डेस्क/टेबल पर, सभी कार्य दिवसों पर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य दिन, दिन में दो बार चाय/कॉफी/ग्रीन टी/बटर मिल्क/लेमन वाटर/सूप आदि की व्यवस्था करेगा।
- vi. ठेकेदार जब भी आवश्यक हो, अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर ग्लास की व्यवस्था करेगा।
- vii. इसके अतिरिक्त उन्हें समय-समय पर विभाग की इच्छानुसार अन्य सभी कर्मचारियों को चाय/कॉफी आदि भी परोसनी होती है जिसके लिए उन्हें रिकार्ड रखना होता है। इसके अलावा, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, तो सेवाओं को कार्यालय समय के बाद प्रदान करना होगा।
- viii. ठेकेदार को आवश्यकता पड़ने पर विशेष लंच/हाई टी/स्पेशल चाय परोसनी होगी जिसके लिए बैंक द्वारा पूर्व सूचना दी जाएगी।
- ix. ठेकेदार बैंक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर पूरे दिन नाश्ते की व्यवस्था करेगा और आवश्यकता पड़ने पर डेस्क पर अधिकारियों को सेवा देगा।
- x. ठेकेदार समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों के डेस्क पर पानी की रिफाइलिंग की व्यवस्था भी करेगा।

5 बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला बुनियादी सुविधाएं:

- i. खाना पकाने के बर्तन, पानी और बिजली के साथ पेंट्री बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।
- ii. टेबल, कुर्सियां, रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव के साथ भोजन क्षेत्र।
- iii. विद्युत उपकरणों आदि के लिए विद्युत कनेक्शन/प्लाइंट
- iv. ओएलडीआर के लिए क्राँकरी/कटलरी बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।
- v. स्टाफ कैंटीन के लिए क्राँकरी / कटलरी बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी।

नोट:

- i. खाद्य सामग्री, रसोई गैस, नैपकिन, दैनिक टिशू पेपर बॉक्स, विभिन्न बैठकों के लिए अतिरिक्त श्रम, दोपहर के भोजन आदि की लागत परिवहन शुल्क सहित वहन की जाएगी। विक्रेता. बैंक परिसर में मिट्टी के तेल का उपयोग प्रतिबंधित है।
- ii. विभिन्न दोपहर के भोजन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले मेज़पोश और तामझाम (विशेष दोपहर के भोजन के दौरान टेबल कवर) घटनाओं और बैठक को ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित करना होगा। इसका रखरखाव भी ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।
- iii. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी दरें उद्धृत करते समय बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं/अवसंरचना पर विचार करें।

मेनू

ठेकेदार से अपेक्षा की जाती है कि वह उचित स्वास्थ्यकर स्थिति में अच्छी गुणवत्ता वाला शाकाहारी/मांसाहारी भोजन उपलब्ध

कराए। चाय/कॉफी/दोपहर का भोजन/विशेष दोपहर का भोजन/विशेष चाय अनुबंध VI में संलग्न सांकेतिक मेनू के अनुसार परोसी जाएगी। विशेष लंच/विशेष चाय के लिए अंतिम मेनू को अंतिम रूप दिया जाएगा और ठेकेदार को आदेश देते समय तदनुसार बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

रसोई और चाय पेंट्री – सफाई और स्वच्छता

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि भोजन/चाय ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन की रसोई में ही निर्धारित की गई है। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मांसाहारी वस्तुओं की तैयारी के लिए एक अलग स्थान और खाना पकाने के बर्तनों का उपयोग किया जाए। स्वच्छता के उच्चतम मानकों, जिन्हें बैंक और बैंक के चिकित्सा सलाहकार द्वारा समय-समय पर सत्यापित किया जाएगा, को बनाए रखना होगा। खाद्य पदार्थ (वस्तुओं)/चाय की असंतोषजनक / अस्वास्थ्यकर गुणवत्ता या प्रदान की गई सेवाओं में चूक या किसी भी टूटने/कमी आदि के मामले में ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाएगा, जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है। रसोईघर बैंक की निरंतर निगरानी में रहेगा और उसमें किसी भी चूक को बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। ठेकेदार ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन के रसोईघर, डाइनिंग हॉल और पेंट्री क्षेत्र की सफाई भी बनाए रखेगा। सफाई सामग्री की लागत बैंक द्वारा वहन की जाएगी।

ठेकेदार कच्चे माल और उसमें प्रयुक्त सामग्री के संबंध में तैयार और परोसे गए खाद्य पदार्थों के संबंध में सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनका पालन करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा और भोजन की तैयारी, भंडारण, सेवा और बिक्री के संबंध में किसी भी लागू कानून के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, बाट और माप अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के प्रावधानों, जिनमें उक्त संविदा के अधीन सभी उपभोक्ताओं/निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य शामिल है, के प्रावधान शामिल हैं। ठेकेदार पूरी अनुबंध अवधि के दौरान भोजन के रूप में प्रदान किए गए किसी भी खराब, बासी या दोषपूर्ण भोजन या सामग्री से उत्पन्न संक्रमण, खाद्य विषाक्तता या बीमारी के किसी भी दावे से बैंक को क्षतिपूर्ति रखेगा।

खानपान कर्मचारी

ठेकेदार को बैंक परिसर में सुचारू खानपान सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए 09 खानपान कर्मचारियों (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है) को नियुक्त करना चाहिए:

कर्मचारी	कर्मचारियों का विवरण	कर्मचारियों की संख्या
कुशल	पर्यवेक्षक	1
	रसोईया	3
अन-स्किल्ड	वेटर/किचन हेल्पर्स	5

बैंक किसी भी तरह से रोजगार / रसोई के काम पर लगाने के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों या किसी श्रम कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अथवा बैंक के पक्ष में यथा लागू लाइसेंस प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा।

बैंक किसी भी कर्मचारी/कामगार के परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि आवश्यक हो। किसी कामक द्वारा छुट्टी लिए जाने की स्थिति में स्टाफ की स्थानापन्न व्यवस्था तैनात करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार निविदा में विनिर्दिष्ट श्रेणी के अनुसार दैनिक 09 खानपान स्टाफ तैनात करेगा। तथापि, ठेकेदार को कामकों में बार-बार परिवर्तन करने से बचना होगा।

1. सोडेक्सो/प्लक्सी मशीन का प्रावधान:

ठेकेदार अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा जैसे पीओएस, ओएलडीआर में सोडेक्सो/प्लक्सी कार्ड मशीन और स्टाफ कैंटीन। ठेकेदार प्लक्सी कार्ड मशीन के लिए सीधे प्लक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से राशि का दावा करेगा। इस संबंध में किसी भी दावे के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

3. भाग- II, वित्तीय बोली: -

- भाग-II ई-निविदा की वित्तीय बोली में केवल निविदाकर्ता की उद्धृत दरें ही शामिल होनी चाहिए।
- निविदा की मूल्य बोली का मूल्यांकन निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत 'कार्य की कुल लागत' के आधार पर किया जाएगा।
- सभी वैधानिक कटौतियां, जैसा लागू हों, ठेकेदार द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए गए बिलों से की जाएंगी।

4. न्यूनतम मजदूरी: -

- ठेकेदार समय-समय पर लागू कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों (औद्योगिक श्रमिकों, भवन संचालन) के लिए मुख्य श्रमायुक्त (सी), नई दिल्ली, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम मजदूरी अधिसूचना का पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक केवल न्यूनतम मजदूरी (पीएफ, ईएसआई, बोनस, ईडीएलआई और प्रशासनिक शुल्क जैसे लागू वैधानिक भत्ते सहित) की प्रतिपूर्ति करेगा, जैसा कि मुख्य श्रम आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू होता है, ठेकेदार द्वारा कार्य दिवसों (प्रति माह 22 दिन) के लिए नियुक्त कर्मचारियों के लिए ठेकेदार को प्रतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त स्टाफ की न्यूनतम मजदूरी के अलावा कोई अतिरिक्त खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह लागू न्यूनतम मजदूरी के साथ अद्यतन है और उसी का भुगतान करता है। ठेकेदार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में ठेकेदार की विफलता के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
- ठेकेदार इस प्रकार तैनात ठेकेदार कर्मियों को मजदूरी आदि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी/किसी अन्य ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में करेगा।
- बैंक कार्य दिवसों के लिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की प्रतिपूर्ति केवल ठेकेदार स्टाफ के खाता विवरणों के साथ-साथ ईपीएफ स्टेटमेंट, ईएसआई स्टेटमेंट आदि के सभी प्रकार से पूर्ण उत्पादन पर करेगा। ठेकेदार पर यह दायित्व यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है कि वह मजदूरी के भुगतान, मजदूरी अवधि, मजदूरी से कटौतियों, भुगतान न की गई मजदूरी की वसूली और की गई अनधिकृत कटौतियों, मजदूरी पुस्तिका का रखरखाव, मजदूरी पर्ची, मजदूरी के पैमाने और रोजगार की शर्तों के प्रकाशन के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। आवधिक विवरणियों का निरीक्षण और प्रस्तुति।

5. वर्दी :

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी कर्मचारी विनम्र, शिष्ट और चौकस होने के अलावा साफ-सुथरी वर्दी भी पहनें। उन्हें सेवाओं की मूल बातों से परिचित होना चाहिए और टेबल सर्विस का आवश्यक अनुभव होना चाहिए। ठेकेदार आवश्यक वर्दी प्रदान करेगा, विशेष रूप से पर्यवेक्षक, रसोइयों और वेटर/सहायकों को अलग करेगा जैसा कि नीचे बताया गया है। ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में वर्दी और जूते शामिल होंगे। बैंक वर्दी, जूते आदि पर खर्च किए गए किसी भी प्रभार का भुगतान

नहीं करेगा/प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। वर्दी के बारे में सामान्य विवरण इस प्रकार हैं:

स्टाफ़	वर्दी विवरण
पर्यवेक्षक	सफेद शर्ट, काली पैट, टोपी, औपचारिक जूते
बावरची	सफेद शर्ट, काली पैट, टोपी, औपचारिक जूते, सफेद एप्रन के साथ
वेटर/किचन हेल्पर	सफेद शर्ट, काली पैट, टोपी, दस्ताने, औपचारिक जूते

3. पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र: ठेकेदार को एक वचन देना होगा कि नियुक्ति से पहले उसके सभी कर्मचारी पुलिस सत्यापन से गुजरते हैं। ठेकेदार को तैनाती की तारीख से 30 दिनों के भीतर बैंक के परिसर में तैनात अपने सभी कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने चाहिए और बाद में वार्षिक आधार पर सत्यापन करना चाहिए।

7. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट:

ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए कर्मचारी उचित स्वास्थ्य में होंगे। ठेकेदार नियुक्ति से पहले और आगे प्रत्येक वर्ष के बाद या बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर, जो भी पहले हो, सभी कर्मचारियों का चिकित्सा प्रमाण पत्र (संचारी रोगों के लिए परीक्षण सहित) प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित कामक सभी प्रकार से स्वस्थ होंगे और उन्हें किसी भी समय बैंक के चिकित्सा परामर्शदाताओं/बैंक के चिकित्सा अधिकारी/किसी अन्य प्राधिकृत चिकित्सक की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

सभी जोखिम नीति और कामगार मुआवजा नीति: - सफल निविदाकर्ता तैनात कर्मचारियों के लिए सभी जोखिम नीति और कामगार मुआवजा नीति लेगा, जहां भी कानून के तहत लागू हो। बीमा पॉलिसी अनुबंध की अवधि के साथ वैध/सह-टर्मिनस होगी। ठेकेदार कार्य निष्पादित करते समय व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

8. कार्मिक:

- ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन प्रचालनों के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं ठेकेदार द्वारा उपयुक्त कामकों की तैनाती के माध्यम से की जानी चाहिए। ठेकेदार द्वारा कम से कम 05 वेटर/किचन हेल्पर, तीन (03) रसोइये और एक (01) पर्यवेक्षक जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है, हर समय तैनात किया जा सकता है, ऐसा न करने पर ठेकेदार की निविदा अस्वीकृत की जा सकती है और अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
- यह ध्यान दिया जा सकता है कि पर्यवेक्षक और रसोइयों को कुशल के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि सहायक कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्रीय नियम), 1948 के तहत मजदूरी का भुगतान करते समय अकुशल के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
- ठेकेदार द्वारा लगाए गए व्यक्तियों के विभिन्न विवरण जैसे नाम, आयु, लिंग, निवास का पता, संपर्क नंबर, आधार और पैन कार्ड विवरण, पुलिस सत्यापन और चिकित्सा रिपोर्ट बैंक को प्रदान की जानी चाहिए।
- ठेकेदार निविदा में यथा विनिर्दिष्ट संविदा के दायरे में यथा निर्धारित सेवाओं का सुचारू प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी खानपान स्टाफ को इस कार्य पर तैनात करेगा और वाषक आधार पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण/अद्यतन करता रहेगा।

वैधानिक आवश्यकताएं: -

- i. ठेकेदार केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी करों को वहन करेगा।
- ii. ठेकेदार सभी केंद्रीय और राज्य कानूनों, विशेष रूप से संविदा / श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम 1950, ईपीएफ अधिनियम 1952, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, ईएसआई अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और बैंक को सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात अनुबंध श्रमिकों/कर्मचारियों से संबंधित किसी भी अन्य लागू अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- iii. ठेकेदार के पास ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 अथवा लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत यथा अपेक्षित लाइसेंस होना चाहिए जिसमें ऐसा न होने पर ठेकेदार आगामी कार्रवाई/कार्यवाहियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक को ठेकेदार के कृत्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से ठेकेदार द्वारा लगाए गए श्रमिकों / कर्मचारियों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।
- iv. ठेकेदार बैंक में सेवाएं प्रदान करने के लिए 'नाबालिगों' को नियुक्त नहीं करेगा।
- v. ठेकेदार को यह वचन देना चाहिए कि वह नियोजित कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर देगा कि वे केवल ठेकेदार के कर्मचारी हैं और बैंक के कर्मचारी नहीं हैं और बैंक के साथ किसी भी रोजगार पर भविष्य में उनका कोई दावा नहीं होगा।
- vi. कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ठेकेदार को संविदा के अंतर्गत दायित्वों का अनुपालन करने के लिए नियोजित स्टाफ का पर्यवेक्षण भी करना चाहिए और मजदूरी का भुगतान न करने/भुगतान में विलंब होने की स्थिति में ठेकेदार के स्टाफ का बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।
- vii. यदि बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में लागू किसी कानून के अनुसार ठेका कामगारों/स्टाफ के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने में चूक या चूक के कारण ठेकेदार द्वारा नियुक्त ठेका कामगारों/कर्मचारियों को किसी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है/बुलाया जाता है, तो ठेकेदार बैंक द्वारा भुगतान की गई ऐसी राशि के साथ-साथ बैंक द्वारा भुगतान की गई किसी भी दंड की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- viii. ठेकेदार सत्यापन/जांच के लिए जब भी आवश्यक हो, बैंक को अपनी बहियों, रजिस्ट्रों, दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों आदि को बनाए रखेगा और प्रदान करेगा।
- ix. बैंक ठेकेदार से वसूली करने या बिलों से कटौती करने या संबंधित प्राधिकारी को बैंक से देय किसी भी राशि की कटौती करने का हकदार होगा, जो बैंक को विक्रेता या उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किसी चूक या लापरवाही के कारण कानून के तहत भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
8. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि परिसर में रहते हुए या इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करते समय सभी कर्मचारी स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करें और बैंक ही एकमात्र न्यायाधीश होगा कि ठेकेदार और/या उसके स्टाफ ने इसका पालन किया है या नहीं। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक द्वारा अपने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार उन्हें बैंक के परिसर में नियोजित नहीं करेगा।
9. ठेकेदार व्यक्तिगत रूप से और विशेष रूप से उनके द्वारा तैनात सभी कर्मचारियों के काम की निगरानी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई सेवाएं बैंक की सर्वोत्तम संतुष्टि के लिए की जाती हैं।

10. ठेकेदार सूची में निर्दिष्ट सामग्री/ब्रांडों का उपयोग करने के लिए सहमत होगा। बैंक आवधिक आधार पर उक्त कार्य करते समय विक्रेता द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता लेखा परीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. ठेकेदार अपने द्वारा तैनात कामकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण के लिए स्वयं व्यवस्था करेगा।
12. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन में तैनात कामगारों को इस आशय का प्रशिक्षण दिया जाता है कि यदि वे अपनी ड्यूटी पर जाते समय किसी भी संदिग्ध वस्तु/गतिविधि को देखते हैं तो वे तुरंत बैंक के सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करें।
13. ठेकेदार बैंक परिसर की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं/मानदंडों का पालन करेगा। कृपया अनुबंध XIV देखें।
14. ठेकेदार खाद्य सामग्री, पेय पदार्थों और जलपान की तैयारी और बिक्री से संबंधित सभी नगरपालिका और अन्य विनियमों का पालन करेगा और आवश्यक लाइसेंस और परमिट प्राप्त करेगा, जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत लाइसेंस और अन्य लागू लाइसेंस/अनुमतियां शामिल हैं। ठेकेदार द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
15. विक्रेता के कामगार स्टाफ से संबंधित किसी श्रमिक समस्या के मामले में, उसका निपटान ठेकेदार की ओर से ही किया जाएगा। ठेकेदार इसके लिए बैंक को उपयुक्त क्षतिपूत करेगा। ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्मिकों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि बैंक के विरुद्ध उनका कोई दावा नहीं है और वे अपनी किसी भी सेवा शर्तों के संबंध में या अन्यथा बैंक के साथ या बैंक के विरुद्ध प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष रूप से कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाएंगे।
16. ठेकेदार बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूत करेगा और बैंक, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को हानि, क्षति, दावों या विक्रेता या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी चूक के लिए या ठेकेदार या उनके सेवा कर्मियों द्वारा कदाचार, चूक और लापरवाही के कारण ठेकेदार या उनके सेवा कर्मियों द्वारा किए गए उल्लंघन के खिलाफ क्षतिपूर्ति, बचाव और अच्छा रखेगा, संविदा की अवधि के दौरान लागू कानूनों, विनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के संबंध में। यद्यपि ठेकेदार द्वारा उद्धृत अधिनियमों के अन्यथा किसी प्रावधान का ठेकेदार द्वारा अनुपालन न किए जाने के कारण किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के निपटान के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा, बैंक उपर्युक्त के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय किसी राशि का सीधे निपटान करने और बैंक द्वारा ठेकेदार को देय किसी राशि से या उसके अभाव में ऐसी राशि की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ठेकेदार द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में।
17. जब भी बैंक या कानून के तहत अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा आवश्यक हो, ठेकेदार निरीक्षण के लिए सभी प्रपत्रों, रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा जिन्हें विभिन्न विधियों के तहत रखा जाना आवश्यक है।
18. जब कभी अपेक्षित हो, ठेकेदार उक्त सांविधिक भुगतान करने के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। प्रावधानों का पालन न करना ठेकेदार द्वारा ऐसा भुगतान करने में चूक के रूप में माना जाएगा, और बैंक द्वारा इसके बिल का भुगतान रोक दिया जाएगा।
19. बैंक ठेकेदार द्वारा उपर्युक्त अथवा उनके स्टाफ के संबंध में किसी सांविधिक प्रावधान का अनुपालन करने के लिए किए गए व्यय के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
20. ठेकेदार सभी परिचालन नियमों और विनियमों का पालन करेगा, जिसमें बैंक द्वारा बनाए गए सुरक्षा और

अनुशासनात्मक नियम शामिल हैं और पूरे परिसर या उसके हिस्से पर लागू किए गए हैं, जहां ठेकेदार या उसके कर्मचारी परिचालन/काम कर रहे हैं। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी द्वारा उक्त नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने या किसी भी तरह से बैंक के लिए आपत्तिजनक होने की स्थिति में, ठेकेदार ऐसे कर्मचारियों को बैंक के परिसर से तुरंत हटा देगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को किसी भी परिणामी हानि से क्षतिपूर्ति करेगा।

21. **उपकिराएदारी:** - विक्रेता बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी तीसरे व्यक्ति/एजेंसी/ठेकेदार/संगठन को ठेका या उसका कोई भाग उपकिराएदारी, हस्तांतरण या सौंपेगा।
22. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यहां निर्दिष्ट नियम और शर्तें प्रकृति में संपूर्ण नहीं हैं और यह बैंक को सफल बोलीदाता के साथ समझौते को निष्पादित करने के समय बोलीदाता को इस तरह के आगे के नियमों और शर्तों पर सहमत होने या इसमें निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने की आवश्यकता से नहीं रोकेगा, (ग) इस ई-निविदा के अंतर्गत सौंपे जा रहे कार्य के सम्यक और समुचित निष्पादन के लिए यथावश्यक समझे जाने वाले विभागों आदि के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
23. **जोखिम और लागत खंड:** - किसी अन्य खंड में निहित किसी भी बात के बावजूद, बैंक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में ठेकेदार की ओर से किसी भी विफलता के कारण या उसके दिवालिया होने या परिसमापन में जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठेकेदार की ओर से विफलता के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
24. यदि किसी कारण से ओएलडीआर और/या स्टाफ कैंटीन के संचालन में सेवा का कोई ठहराव होता है, तो ठेकेदार बैंक द्वारा तय किए गए दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
25. ठेकेदार की ओर से किसी भी विफलता की स्थिति में, बैंक को बिना किसी पूर्वाग्रह के ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी अन्य वैकल्पिक विक्रेता के माध्यम से काम कराने का अधिकार होगा। बैंक द्वारा वहन की गई अतिरिक्त लागत, हानि, यदि कोई हो, की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।
26. बैंक अपने विवेकानुसार संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय ओएलडीआर/स्टाफ कैंटीन को बंद कर सकता है।
27. **अप्रत्याशित घटना खंड:-** यदि किसी भी समय, अनुबंध की निरंतरता के दौरान, अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के किसी भी पक्ष द्वारा पूरे या आंशिक रूप से प्रदर्शन को किसी भी युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक शत्रुता के कृत्यों, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या भगवान के कृत्यों (इसके बाद "घटनाओं" के रूप में संदर्भित) के कारणों से रोका या देरी की जाती है, बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना की घटनाओं की सूचना, नोटिस देने वाले पार्टी के देश में उपयुक्त अधिकारियों/चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा विधिवत समर्थन किया गया हो, पार्टी द्वारा दूसरे को रियायत की मांग करते हुए जल्द से जल्द दिया जाता है, लेकिन घटना की तारीख से 21 दिनों के भीतर और उसके द्वारा किए गए उपायों से पार्टी को पर्याप्त रूप से संतुष्ट करता है, कोई भी पक्ष, ऐसी घटना के कारण, अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस तरह के गैर-प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए कोई दावा होगा, और इस तरह की घटना समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके पैनल के तहत सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा और बैंक का निर्णय कि क्या सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं या नहीं, यह अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि अनुबंध के तहत पूर्ण या आंशिक रूप से या किसी भी दायित्व में प्रदर्शन को 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या देरी की जाती है, तो बैंक अपने विकल्प पर, अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

- 28. विक्रेता को भुगतान :-** ठेकेदार सहायक दस्तावेजों के साथ भुगतान के लिए हर महीने पूरा होने पर बिल जारी करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को उनके हक के वेतन का भुगतान करेगा। इसे बिल के भुगतान से नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को भुगतान ठेकेदार द्वारा एनईएफटी के माध्यम से किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, भुगतान नकद में किया जाएगा।
- उपरोक्त के अनुसार मासिक बिल, ठेकेदार द्वारा सफल महीने के तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
- ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों की हकदार मजदूरी अगले महीने के 7 वें दिन से पहले उनके बैंक खाते में जमा की जाए। विक्रेता को इस मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- महीने के लिए बिल जमा करते समय, ठेकेदार को निम्नलिखित प्रमाणित करना होगा:
- श्रमिकों की मजदूरी उनके बैंक खातों में (तारीख) को जमा की गई थी .
- कामगारों से संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के लिए रुपए की राशि जारी की गई है।..... (तारीख) को जमा किया गया था..... (चालान की प्रति संलग्न)
- श्रमिकों से संबंधित ईपीएफ अंशदान ₹..... (तारीख) को जमा किया गया था (चालान की प्रति संलग्न)।
- ठेकेदार भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम मजदूरी सहित सभी सांविधिक श्रम कानूनों का अनुपालन कर रहा है।
- बैंक द्वारा न्यूनतम मजदूरी की प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारियों और सांविधिक प्राधिकरणों जैसे ईएसआई, पीएफ आदि को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का दस्तावेजी प्रमाण मासिक आधार पर बैंक को प्रस्तुत किया जाना है। सभी बिलों का निपटान सभी लागू वैधानिक करों अर्थात् आयकर टीडीएस, जीएसटी, टीडीएस आदि को काटने के बाद किया जाएगा, बशर्ते बिल क्रम में हो और सभी मामलों में पूर्ण हो। चूंकि बैंक एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करता है, सफल ठेकेदार को बैंक को एनईएफटी से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए अर्थात्, कार्य आदेश प्राप्त करने के तुरंत बाद मासिक वार्षिक रखरखाव शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना। बिल जमा करने से पहले, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्तियों के लिए भुगतान बिल अवधि के लिए किया गया है। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान करने के लिए कोई अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार इस ठेके की शर्तों में निर्धारित प्रभारों के अलावा किसी प्रभार का दावा करने का हकदार नहीं है।
- 29. ठेकेदार को बिल का भुगतान सामान्यतः बैंक द्वारा बिल प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक द्वारा किया जाएगा।**
- हालांकि, अगर किसी कारण से 30 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो इसे तुरंत बैंक के ध्यान में लाया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल पर कोई भी स्पष्टीकरण बैंक द्वारा मांगा जाएगा, और ठेकेदार को 7 दिनों के भीतर उसी के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा। बिल के किसी भी हिस्से पर बैंक और ठेकेदार के बीच किसी भी असहमति के मामले में, ऐसे हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग किया जा सकता है और भुगतान बिल के सहमत और स्वीकार्य हिस्से के खिलाफ किया जाएगा। विच्छेदित भाग के विवाद को संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अलग से निपटाया जाएगा।
- 30. प्रकटीकरण गैर खंड -** ठेकेदार और उसका स्टाफ बैंक की अवसंरचना/प्रणालियों/उपस्कर आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और ब्यौरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, जो इस संविदा के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय के रूप में मानेगा, सिवाय इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या

लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने या प्रकट करने की अनुमति नहीं देगा। ठेकेदार किसी गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को विक्रेता की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और इसके लिए कानूनी उपायों का अनुसरण करने का हकदार होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य के लिए लगाए गए व्यक्तियों को गैर-प्रकटीकरण अपेक्षा के बारे में अवगत कराया जाए और ठेकेदार अपने व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित गैर-प्रकटीकरण खंड किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बच जाएगा।

31. कार्य निष्पादित करने में विफलता के लिए अयोग्य होने का अधिकार: - ठेकेदार समझता है कि वह ई-निविदा दस्तावेजों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और बैंक से प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने पर तुरंत काम निष्पादित करने की स्थिति में है। बैंक से निविदा प्रदान किए जाने पर, ठेकेदार बैंक से अवार्ड पत्र में उल्लिखित तारीख से अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को तैनात करने के लिए बाध्य होगा। ठेकेदार द्वारा यह सहमति दी जाती है कि केवल सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने से कार्य सौंपे जाने की गारंटी नहीं दी जाती है और यह कार्य बैंक की इस संतुष्टि पर अंतिम रूप से सौंप दिया जाएगा कि ठेकेदार ई-निविदा की अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में है/होगा। ठेका दिए जाने पर ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक सैद्धांतिक अनुमोदन वापस लेने और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत ईएमडी राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ठेकेदार सभी जोखिम और लागत के लिए भी उत्तरदायी होगा। बैंक ऐसे चूककर्ता ठेकेदार को तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक में भविष्य में किसी ई-निविदा में भाग लेने से वंचित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, तथापि, ऐसा करने से पहले बैंक ठेकेदार को सात दिन का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दे सकता है और यदि ठेकेदार द्वारा ऐसे नोटिस के लिए कोई उत्तर दिया जाता है तो उस पर विचार कर सकता है।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न: ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा:

बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और ठेकेदार शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है यदि घटना में निविदाकर्ता का स्टाफ शामिल है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

ठेकेदार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

33. ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो ओएलडीआर/स्टाफ कैटीन में तैनात हैं।

34. किरायेदारी अधिकार: इसमें निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ठेकेदार के पक्ष में कोई किरायेदारी सृजित करेगा और बैंक, यहां विनिदष्ट शर्तों के अनुसार, किसी भी समय संविदा की समाप्ति को प्रभावी कर सकता है, संविदा के सम्यक निष्पादन के लिए ठेकेदार को बैंक द्वारा प्रदत्त परिसर का पुनः प्रवेश, अधिग्रहण और कब्जा पूरी तरह से अपने पास रख सकता है तथा ठेकेदार द्वारा तैनात कामकों को बेदखल कर सकता है।

बैंक उस स्थिति में अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि सफल बोलीदाता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्धारित मूल्य के लिए जारी निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर समझौते को निष्पादित करने में विफल रहता है।

बैंक सफल बोलीदाता को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/हाथ/ई-मेल द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से सूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है। (इसके बाद और अनुबंध की स्थिति में जिसे "पुरस्कार पत्र" कहा जाता है)। सफल बोलीदाता को अनुबंध पत्र जारी होने की तारीख से 07 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर करार निष्पादित करना होगा और करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक (1) माह की अवधि के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। यदि चयनित विक्रेता ठेका प्रदान किए जाने के 07 कार्य दिवसों के भीतर औपचारिक करार पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है अथवा नियत तारीख को कार्य शुरू करने में असफल रहता है तो कार्य सौंपने वाले पत्र को रद्द माना जाएगा, उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और बोलीदाता भी जोखिम और लागत के लिए उत्तरदायी होगा।

41. इसके अलावा, बैंक ऐसे व्यक्तियों को तीन साल की अवधि के लिए बैंक में किसी भी निविदा/उपक्रम में भाग लेने से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले, बैंक व्यक्ति को सात दिन का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दे सकता है और अंतिम रूप से उस व्यक्ति को वंचित करने का निर्णय लेने से पहले एससीएन को प्रस्तुत किसी भी उत्तर पर विचार कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

42. अनुबंध पूर्ण बल में आ जाएगा और पुरस्कार के पत्र के जारी होने की तारीख पर प्रभाव. अनुबंध समझौते के संबंध में कानून द्वारा लगाए गए स्टाम्प शुल्क और समान शुल्क (यदि कोई हो) की लागत विक्रेता द्वारा वहन की जाएगी। सफल बोलीदाता के मामले में, निविदा प्रदान करने की तारीख से 07 दिनों के भीतर करार पर हस्ताक्षर करने के बाद, वैध बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने की तारीख से एक (1) माह की अवधि के भीतर ईएमडी (बिना किसी ब्याज के) वापस कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी निविदा प्रदान करने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। यदि निविदा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। उपर्युक्त खंडों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सफल बोलीदाता (विक्रेता) की विफलता पंचाट को रद्द करने और विक्रेता द्वारा प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगी।

43. समझौते की समाप्ति:

अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यदि ठेकेदार करार के अनुसार अपने किसी भी दायित्व/कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहता है या किसी सामान्य अनुदेश और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बैंक द्वारा बिना कोई कारण बताए अनुबंध को तुरंत समाप्त किया जा सकता है। ठेकेदार लिखित में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीनों की पूर्व सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है, यदि वह सेवाओं को रोकने का निर्णय लेता है।

मध्यस्थता:- बैंक और ठेकेदार सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा, अनुबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति या विवाद के मामले में, इस अनुबंध के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले भुगतान पर इसकी व्याख्या के मामले में सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यदि इस तरह की अनौपचारिक बातचीत शुरू होने के 30 दिनों के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक और ठेकेदार अनुबंध से संबंधित विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में असमर्थ हैं, तो पार्टियां आपसी समझौते से मध्यस्थ की नियुक्ति के माध्यम से इसे हल करने का प्रयास करेंगी। मध्यस्थता की कार्यवाही पणजी में ही होगी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए और लागू

नियम, ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे।

इसके अलावा, इस तरह के विवाद, मतभेद, या प्रश्न, यदि कोई हो, पणजी में उत्पन्न हुए माने जाएंगे और केवल पणजी में अदालतों के पास इसका निर्धारण करने के लिए विशेष कानूनी अधिकार क्षेत्र होगा।

निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों को इस समझौते के हिस्से और पार्सल के रूप में माना जाएगा।

घोषणा:

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उपर्युक्त अनुबंध मुझे/हमें सौंपे जाने की स्थिति में यह मुझ पर/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम: ()

हस्ताक्षरकर्ता अर्थात् मालिक/भागीदार की स्थिति:

कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर की मुहर

भाग-I, खंड-VII

तरलता क्षति / दंड खंड

सेवाएं सभी कार्य दिवसों पर या बैंक की इच्छानुसार प्रदान की जाएंगी और सेवाओं में कमी और बैंक और उसके अधिकारियों को हुई गंभीर असुविधा के लिए, संबंधित माह के अनुमानित बिल पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विक्रेता पर चलनिधि क्षति/जुर्माना लगाया जाएगा। विक्रेता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उचित नोटिस और अवसर देने के बाद, निविदा दस्तावेज के "चलनिधि क्षति/शास्ति" में दिए गए उल्लंघन के लिए विक्रेता पर जुर्माना लगाया जाएगा।

तथापि, बैंक सम्यक सूचना देने के बाद ही इसे उद्ग्रहण करेगा। विवाद के मामले में, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी को अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।

भुगतान रोकना: बैंक इस सीमा तक भुगतान को रोक सकता है कि, यह उचित रूप से विश्वास करता है कि, जब विक्रेता इस समझौते के अनुसार दायित्वों का उल्लंघन करता है। यदि उल्लंघन ऐसा है कि उसे दूर किया जा सकता है, तो विक्रेता को कमी के समाधान के लिए 07 (सात) दिनों का नोटिस दिया जाता है। एक बार विक्रेता ने कमी को ठीक कर दिया है, तो बैंक इस कारण पर रोकी गई राशि का भुगतान करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी रोकी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

भुगतान से कटौती: बैंक विक्रेता के बिल से, करार के अनुसार दंड के दावों के कारण राशि, लागत या दावों, हानियों, क्षतियों, विक्रेता द्वारा प्रदान की गई खराब सेवाओं आदि की कटौती कर सकता है, जो सीधे बैंक द्वारा किए गए ('प्रत्यक्ष नुकसान') जो विक्रेता द्वारा लापरवाही से उत्पन्न होती हैं। यदि विक्रेता उल्लंघन का समाधान करने में विफल रहता है, जैसा कि उल्लेख किया गया है, तो बैंक के पास बिना किसी सूचना के, विक्रेता के बिल से ऐसी राशि काटने का विवेक है, और यह अधिकार इस समझौते के तहत बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त है।

कार्यान्वयन: उपर्युक्त समझौते और वैधानिक आवश्यकताओं की निगरानी भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी द्वारा की जानी है और यदि कोई दंड हो तो उसे संसाधित करना है।

इसे छोड़ने का निर्णय बैंक के क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के पास होगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषित करना उस मैं/हम रखना पढ़ना और समझ लिया सब वही उपरोक्त अनुदेशों/शर्तों और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

भाग-I, खंड-VIII

तकनीकी बोली

(ई-निविदा प्रक्रिया की प्रासंगिकता में पढ़ा और भरा जाना है)

क्रमांक	विवरण	ब्यौरा
---------	-------	--------

1.	कंपनी का नाम / प्रोपराइटरशिप / फर्म -	
	i) पंजीकृत कार्यालय का पता और टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी।	
	ii) कार्यालय का पता जिसके माध्यम से बैंक के साथ काम संभाला जाएगा।	
2.	संगठन का प्रकार – (चाहे कंपनी / स्वामित्व / फर्म) और स्थापना की तारीख।	
3.	नाम	
4.	निगमन/संविधान की तिथि	
5.	एजेंसी/ठिकेदार का पंजीकरण संख्या। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)	
6.	खानपान सेवाओं आदि को करने के लिए लाइसेंस/प्रमाण पत्र का विवरण (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करें)	
7.	सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र - केंद्रीय या राज्य / प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों / बहुराष्ट्रीय निगमों / सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों / होटल / रेस्तरां में खानपान सेवाओं में कार्य अनुभव।	
8.	भाग-I खंड-III में पैराग्राफ 1(3) में वर्णित अनुबंध-I में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार एजेंसी/ठिकेदार द्वारा सेवा प्रदान किए गए वर्तमान और पिछले, ग्राहकों की सूची (एमएसटीसी पोर्टल पर विधिवत भरे हुए अनुबंध-I को अपलोड करें)	
9.	भाग- I खंड- III में पैराग्राफ 1 (4) में वर्णित अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र (ओं) का विवरण (एमएसटीसी पोर्टल पर ग्राहक प्रमाण पत्र अपलोड करें)	
10.	पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के लिए एजेंसी/ठिकेदार का वार्षिक कारोबार (एमएसटीसी पोर्टल पर लेखा परीक्षित तुलन पत्र अपलोड करें)	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	
	वित्तीय वर्ष 2022-23	
	वित्त वर्ष 2021-22	

11.	पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के लिए एजेंसी/ठेकेदार का आयकर रिटर्न (एमएसटीसी पोर्टल पर आयकर रिटर्न अपलोड करें)	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	
	वित्तीय वर्ष 2022-23	
	वित्त वर्ष 2021-22	
12.	एजेंसी/निविदाकर्ता के बैंक द्वारा जारी अनुबंध III में निर्दिष्ट बैंकर्स प्रमाण पत्र का विवरण।	
13.	(एमएसटीसी पोर्टल पर बैंकर का प्रमाण पत्र अपलोड करें)	
14.	एजेंसी/ठेकेदार की जीएसटी पंजीकरण संख्या। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)	
15.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) एजेंसी/ठेकेदार की पंजीकरण संख्या। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)	
16.	कैटरिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट: आईएसओ प्रमाणन viz. ISO 22000: 2018 या खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए नवीनतम और आईएसओ 45001: 2018 या कार्य के समान दायरे के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए नवीनतम। प्रमाण पत्र निविदा जमा करने की अंतिम तिथि पर मान्य होंगे।	
17.	(एमएसटीसी पोर्टल पर संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें)	
18.	पंजीकरण सं. और पंजीकरण की तिथि	
19.	(पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
	वर्तमान में कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या	
	उपर्युक्त में से कितने कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल कर्मचारी और पर्यवेक्षी कर्मचारी हैं	
	कुशल	
20.	एजेंसी/निविदाकर्ता द्वारा जमा ईएमडी (बयाना धन जमा) ₹72,000/- (रु. बहत्तर हजार मात्र):	

नोट-

1. पूर्व-योग्यता पात्रता मानदंड में निर्दिष्ट उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण नीचे दिया गया है: -
 - a. निविदाकर्ता का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
 - b. अनुबंध I में निविदाकर्ता द्वारा सेवा प्रदान किए गए ग्राहकों की सूची।
 - c. अनुबंध II में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र /
 - d. निविदाकर्ता का वार्षिक टर्नओवर विवरण (31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के लिए)
 - e. निविदाकर्ता का आयकर रिटर्न (31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के लिए)
 - f. निविदाकर्ता का लाभ और हानि खाता (31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले अंतिम तीन (03) वित्तीय वर्षों के लिए)
 - g. अनुबंध III में वित्तीय स्थिति पर बैंकर्स प्रमाण पत्र।
 - h. संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत निविदाकर्ता का पंजीकरण विवरण,
 - i. निविदाकर्ता का पैना।
 - j. निविदाकर्ता की जीएसटी पंजीकरण संख्या।
 - k. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) निविदाकर्ता की पंजीकरण संख्या।
 - l. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) निविदाकर्ता की पंजीकरण संख्या।
 - m. अनुबंध-IV के अनुसार निविदाकर्ता के लेटर हेड पर अंडरटेकिंग/घोषणा।
 - n. कोई अन्य दस्तावेज

(पूर्व-योग्यता पात्रता मानदंड आवश्यकताओं के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक प्रमाण मांगने/प्रस्तुतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है)।

बोलीदाता द्वारा घोषणा:

मैंने/हमने इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले उपरोक्त सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि उपर्युक्त अनुबंध मुझे/हमें प्रदान किया जाता है तो मैं स्वयं उनका पालन करूंगा। मैं/हम समझते हैं कि बैंक किसी भी या सभी

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ और □□□□ □□□□ (□□□□□□□□) और □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ और □□□□□□ □□ □□□□ ई-□□□□□□

ई-निविदा को बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

के इस दिन दिनांकित 2025.

के लिए और की ओर से मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से.....

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम:

स्थान:

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी में खानपान सेवाएं प्रदान करने और पुराने और स्टाफ कैंटीन के रखरखाव के लिए ई-निविदा

भाग II- वित्तीय/मूल्य बोली

(एमएसटीसी पोर्टल पर मूल्य बोली एक्सेल में दर्ज की जानी हैं)

क्रमांक	मद संख्या	विवरण	अनंतिम वार्षिक खपत (प्रति वर्ष इकाइयों की संख्या में)	संकेतदायक दर (रु. में)	दर/इकाई (अंकों में उद्धृत किया जाना है) (रु. में) (जीएसटी के बिना) एफ	कुल टैटेटिव कंजम्पशन X कोटेड रेट जी = डी X एफ
ए	बी	सी	डी	ई		
1	1	नियमित चाय / कॉफी / हरी चाय / नींबू चाय / ताजा नींबू पानी / छाछ दूध / मीठी लस्सी / सूपनोट: (सभी उल्लिखित वस्तुओं के लिए केवल एक दर प्रदान की जानी है)	22,000	15.00	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	(डी X एफ)
	2(क)	सामान्य चाय	600	50.00	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	(डी X एफ)
2	2(ख)	मध्यम चाय	1900	125.00	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	(डी X एफ)
	2(ग)	हाई टी	1200	150.00	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	(डी X एफ)
	3 (क)	कैंटीन में बेसिक वेज लंच	100	120.00	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	(डी X एफ)
3	3 (ख)	कैंटीन में बेसिक नॉन-वेज लंच	100	140.00	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	(डी X एफ)
	3 (ग)	ओएलडीआर में बेसिक वेज लंच	100	300.00	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	(डी X एफ)
	3(घ)	ओएलडीआर में बेसिक नॉन-वेज लंच	100	370.00	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	(डी X एफ)

क्रमांक	मद संख्या	विवरण	अनंतिम वार्षिक खपत (प्रति वर्ष इकाइयों की संख्या में)	संकेतदायक दर (रु. में)	दर/इकाई (अंकों में उद्धृत किया जाना है) (रु. में) (जीएसटी के बिना) एफ	कुल टैटेस्टिव कंजम्पशन X कोटेड रेट जी = डी X एफ
ए	बी	सी	डी	ई		
4	4(क)	स्पेशल वेज लंच (रेगुलर)	350	400.00	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	(डी X एफ)
		स्पेशल वेज लंच (गोवा)	250	450.00		(डी X एफ)
	4(ख)	स्पेशल नॉन-वेज लंच (रेगुलर)	210	500.00	(एमएसटीसी वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	(डी X एफ)
		स्पेशल नॉन-वेज लंच (गोवा)	90	600.00		(डी X एफ)
		कुल	₹12,82,000/- (सांकेतिक कुल)			कुल = वित्तीय बोली

नोट:

- उद्धृत दर का योग, जैसा कि ऊपर कॉलम जी में आया है, बोलीदाता की वित्तीय बोली के रूप में माना जाएगा और निविदा दस्तावेज के खंड IV में वर्णित मूल्यांकन मानदंडों में उपयोग किया जाएगा।
- प्रति श्रेणी संबंधित बोलियां प्रस्तुत करने के लिए ऊपर कॉलम ई में दी गई सांकेतिक दरों पर विचार किया जा सकता है। तथापि, संकेतक दरों से 5% से अधिक या कम दरों को दर्ज करने वाले बोलीदाताओं को इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है। बैंक उक्त स्पष्टीकरण / सबमिशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- प्रत्येक मद के लिए सांकेतिक मेनू और गुणवत्ता क्रमशः अनुबंध-VI और अनुलग्नक-VIII में दी गई है। बैंक वास्तविक मेनू को अंतिम रूप देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे मदों की अनंतिम मासिक खपत, सभी सांविधिक दायित्वों के भुगतान के प्रति दायित्व, नियमित और अस्थायी कर्मचारियों को उपरि मजदूरी, कच्चे माल की लागत का भुगतान, खानपान कर्मचारियों को पोशाक प्रदान करना, चिकित्सा स्वास्थ्य जांच, बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए प्रभार, संविदा मूल्य के लिए सभी जोखिम और कामगार क्षतिपूत बीमा पॉलिसी, (ख) संविदा श्रम (आर एंड ए) अधिनियम के लाइसेंस आदि के लिए अनुबंध-XI में उल्लिखित मजदूरी को छोड़कर भाग-II (वित्तीय बोली) में मदों की दरें उद्धृत करते समय अनुबंध-XI में उल्लिखित मजदूरी को छोड़कर ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम के लाइसेंस आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- बैंक ऊपर उल्लिखित मदों की अनंतिम औसत मासिक खपत पर कोई प्रतिबद्धता नहीं देगा। भुगतान केवल वास्तविक खपत के आधार पर किया जाएगा।

□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ और □□□□ □□□□ (□□□□□□□□) और □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ और □□□□□□ □□ □□□ ई-□□□□□□□

5. सफल बोलीदाता तक पहुंचने के लिए अपनाए जाने वाले मूल्यांकन मानदंड निविदा दस्तावेज के खंड-IV में बताए गए अनुसार हैं।

दिनांक :

स्थान:

ठेकेदार (ओं) के हस्ताक्षर:

अनुलग्नक - III

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंकरों के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि मेसर्स (आवेदक का नाम एवं पता) बचत बैंक खाता/चालू खाता (हड़ताल बंद, जो भी लागू न हो) रखता है/कर रहा है। से हमारे साथ उक्त खाता संतोषजनक रूप से संचालित होता है (आवेदक का नाम) और/- रुपये की सीमा तक किसी भी सगाई के लिए अच्छा माना जा सकता है..... (रुपये...).

यह प्रमाण पत्र हमें या हमारे किसी भी अधिकारी पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया गया है।

(हस्ताक्षर) बैंक के लिए

बैंक अधिकारी का संपर्क नंबर:

बैंक अधिकारी की ईमेल आईडी:

नोट:

1. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंकर के पास दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल हैं।
2. एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-निविदा जमा करते समय मूल बैंकर के प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।

घोषणा का प्रारूप

(एजेंसी/ठिकेदार द्वारा एमएसटीसी पोर्टल पर अपने लेटर हेड पर अपलोड किया जाना है)

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक

पणजी – 403 001

सर

- i) मैं/हम ई-निविदा दस्तावेज में दिए गए उपर्युक्त नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने की पुष्टि करते हैं।
- ii) मैं/हम एतद्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
- iii) यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए खुद को वचन देते हैं।
- iv) इसके अलावा, ई-निविदा आवेदन में हमारे द्वारा ऊपर बताए गए तथ्य मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं।
- v) मैं/हम घोषणा करते हैं कि एजेंसी/कंपनी/फर्म के विरुद्ध कोई मामला/आरोप जांच/पूछताछ/विचारण के अधीन नहीं है।
- vi) मुझे/हमें किसी भी सरकारी विभाग/वित्तीय संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र के उपक्रमों/भारतीय रिजर्व बैंक/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित या डी-लिस्ट नहीं किया गया है और न ही किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और पिछले 10 वर्षों से कानून की अदालत/पुलिस अधिकारियों के समक्ष कोई मामला लंबित नहीं है।
- vii) मैं/हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित), अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई बोनस, ग्रेच्युटी, छुट्टी, राहत प्रभार, वर्दी और भत्ता जैसे अन्य वैधानिक प्रावधानों और समय-समय पर लागू किसी भी अन्य शुल्क के प्रावधानों का पालन करते हैं। मैं/हम समय-समय पर सरकार द्वारा यथा संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार नियोजित कामगारों को मजदूरी का भुगतान करेंगे और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक को मेरे/हमारे या मेरे/हमारे कामगारों के हिस्से पर किसी भी प्रकार की व्यपगत के कारण होने वाले सभी खर्चों की क्षतिपूर्ति के रूप में रखेंगे।

दस्तखत

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

कंपनी/एजेंसी/ठिकेदार/फर्म की मुहर:

स्थान:

दिनांक :

निष्पादन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदी गई उपयुक्त तकनीकी बोली के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान:

दिनांक :

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

पणजी

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी की ओएलडीआर और स्टाफ कैटीन के लिए खानपान सेवाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका कार्यालय पट्टो प्लाजा, पणजी में है (जिसे इसके बाद आरबीआई कहा गया है) ने शीर्षक वाले कार्य (जिसे इसके बाद संविदा कहा गया है) के लिए ठेका (नाम का वही ठेकेदार) (इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल होंगे)। और जबकि ठेकेदार उक्त संविदा से बाध्य है कि वह संविदा में अंतवष्ट निबंधन और शर्तों को उक्त ठेकेदार द्वारा सम्यक पूत के लिए कुल ₹ _____ (_____ रुपए (आंकड़ों और शब्दों में राशि) की कुल राशि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करे। हम (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), मैसर्स _____ the कॉन्ट्रैक्टर के अनुरोध पर, अनुबंध के नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए आरबीआई को ₹ _____ (प्रदर्शन गारंटी _____ as रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम (बैंक का नाम) एतद्वारा सहमत होते हैं और आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती से वचन देते हैं कि आरबीआई के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा माँग किए जाने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी आपत्ति के रु. (रु. केवल) या उससे कम राशि का भुगतान करेंगे, जिसकी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग की जा सकती है।
2. हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ _____ (_____ रुपये) की राशि से अधिक न हो।

3. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि पूर्वोक्त रुपये (केवल रुपये) से अनधिक राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के किया जाएगा, केवल आरबीआई से मांग पर लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर जिसमें कहा गया है कि राशि बकाया है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और नहीं होगा हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से पूछताछ की गई। बैंक किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या मध्यस्थ के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद आरबीआई को इस प्रकार मांगी गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और सुस्पष्ट होगी। हम वचन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर कर देंगे।
4. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।
5. यह गारंटी भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्व सहमति के बिना हमारे द्वारा प्रतिसंहत नहीं की जाएगी। हम आगे सहमत हैं कि –
- उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा में निर्धारित किसी निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन में और/या इसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कोई भी निषेध या कमीशन या कोई समय प्रदान करने या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेकेदार को कोई हस्तक्षेप दिखाने या उसके संबंध में कोई अन्य मामला हमें इस गारंटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार से और हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। इस गारंटी का निर्वहन केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के निष्पादन द्वारा किया जाएगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा/- रुपये से अनधिक की राशि का भुगतान किया जाएगा। (केवल रुपये)।
 - इन उपहारों के तहत हमारी देयता ₹ _____ (_____ रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।
 - इस समझौते के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों या उनके दायित्वों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
 - यह गारंटी (संविदा शुरू होने से 8 माह) तक लागू रहेगी बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसा चाहता है तो इस गारंटी का नवीकरण उनके द्वारा दर्शाई गई समान निबंधन एवं शर्तों पर की जाने वाली अतिरिक्त अवधि के लिए किया जाएगा।
 - इन उपहारों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों का नवीनीकरण नहीं किया जाता है जैसा कि यहां प्रदान किया गया है या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी बाद की तारीख हो। जब तक हमारे खिलाफ या किसी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें मुक्त कर दिया जाएगा और हमें हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसकी गवाही में, बैंक के मैंने/हमने इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और इस गारंटी पर मुहर लगा दी _____
_____(माह) _____ (वर्ष) का दिन इसके साथ विधिवत अधिकृत किया जा रहा है।

□□□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ (□□□□□□□□) और □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ और □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□

के लिए और की ओर से (बैंक का नाम) अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

औहदा

बैंक की स्टाम्प/सील

ईमेल आईडी:

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्दगी:

गवाह 1

दस्तख़त

नाम:

पता:

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुलग्नक – VI

सांकेतिक मेनू

(1) नियमित/दैनिक चाय/कॉफी:

सर्विंग्स	मेनू	विवरण
-----------	------	-------

दिन में दो बार	नियमित चाय / ग्रीन टी/लेमन टी/ब्लैक टी/ काँफी/ताजा नींबू पानी/छाछ / स्वीट लस्सी/सूप	ब्रुक बॉन्ड/लिपटन/ताजमहल/ग्रीन टी बैग/ताजा नींबू/ब्लैक टी/नेस्कैफे/ब्रू/ताजा नींबू (मीठा/नमकीन पानी) अमूल/नंदिनी/मदर डेयरी/गोवा डेयरी/डेलिसिया/हेरिटेज
----------------	--	--

नोट: चाय/ग्रीन टी/लेमन टी/काँफी/सूप/ताजा नींबू पानी/छाछ दूध/मीठी लस्सी स्टाफ सदस्यों की मेज पर एक ट्रे में परोसी जानी चाहिए और केवल ऊपर उल्लिखित ब्रांडों का उपयोग किया जाना है।

2) स्पेशल टी:

a. नॉर्मल टी:

क्रमांक	विवरण
(क)	चाय/काँफी/ग्रीन टी/लेमन टी/ताजा नींबू पानी/छाछ
(ख)	प्रीमियम बेकड कुकीज़-मीठे, दो नग। प्रीमियम बेकड कुकीज़- नमकीन, दो नग। नहीं तो 01 नग वेज कटलेट/वड़ा पाव/पनीर पकोड़ा/सैंडविच/समोसा/कोई भी समान खाद्यवस्तु - कोई भी एक

b. मीडियम टी:

क्रमांक	विवरण
(क)	चाय/काँफी/हरी चाय/नींबू चाय/ताजा नींबू/छाछ
(ख)	प्रीमियम बेकड कुकीज़-मीठे दो नग। प्रीमियम बेकड कुकीज़- नमकीन दो नग।
(ग)	01 नग वेज कटलेट/वड़ा पाव/पनीर पकोड़ा/सैंडविच/समोसा/कोई भी समान खाद्यवस्तु – कोई भी एक
(घ)	प्रीमियम गुणवत्ता भुना हुआ नमकीन काजू, बादाम और अखरोट (मिक्स)

□□□ □□:

क्रमांक	विवरण
(क)	चाय/काँफी/ग्रीन टी/लेमन टी/ताजा नींबू पानी/छाछ

(ख)	प्रीमियम बेकड कुकीज़-मीठे दो नग।
(ग)	प्रीमियम बेकड कुकीज़- नमकीन दो नग।
(घ)	01 पीसी वेज कटलेट/वड़ा पाव/पनीर पकोड़ा/सैंडविच/समोसा/
(ई)	ड्राइ केक / फ्रूट केक के 02 नग कोई भी समान खाद्यवस्तु Pastry या इसके समान एक नग मीठी कोई भी एक खाद्यवस्तु

3) OLDR में परोसा जाने वाला दोपहर का भोजन

a. बेसिक वेज लंच

क्रमांक	आइटम	ब्यौरा
1	सूप	वेज मनचाव/हॉट सॉर/ब्रेड क्रंच के साथ टमाटर का सूप, स्वीट कॉर्न/क्लियर वेज/पालक/मशरूम - कोई भी एक समान खाद्यवस्तु
2	मौसमी सलाद	हरी सलाद
3	पापड़	02 नग तला हुआ/भुना हुआ
4	अचार	मानक मात्रा
5	दही/रायता	सादा दही/रायता 100 ग्राम, सीलबंद कप
6	भाजी	अच्छी गुणवत्ता की एक मौसमी सब्जी / मिक्स वेज / मटर पनीर / शाही पनीर / कढ़ाई पनीर / मलाई कोफ्ता /
7	अनाज (दाल)	जीरा राइस/वेज पुलाव/बिरयानी/स्टीम्ड राइस (रोटेशन पर दैनिक)-कोई भी एक
8	चावल	04 सादा फुल्का या
9	रोटी/ब्रेड	02 सादा चपाती या 04 पुरी
10	मिठाई	गुलाब जामुन / रसगुल्ला / छेना रोल / दूध केक / मानक दुकानों से अच्छी गुणवत्ता की बंगाली मिठाई / आइसक्रीम 100 ग्राम कप (अमूल / नेचुरल्स / वाडीलाल या समकक्ष ब्रांड) -कोई भी एक
11	माउथ फ्रेशनर	प्रीमियम गुणवत्ता वाला कोई भी दो

b. □□□□□□ □□□□-□□□□ □□□□

क्रमांक	आइटम	ब्यौरा
1.	सूप	ब्रेड क्रंच के साथ टमाटर का सूप, मीठा मकई/साफ़ शाकाहारी/पालक/मशरूम/कोई भी समान वस्तु- कोई भी एक
2.	मौसमी सलाद	हरी सलाद
3.	पापड़	02 पीसी तला हुआ/भुना हुआ
4.	अचार	मानक मात्रा
5.	दही/रायता	सादा दही/रायता 100 ग्राम, मदर डेयरी का सीलबंद कप/अमूल/वेरका
6.	मेन कोर्स (मांसाहारी)	04 अंडे (सप्ताह में दो बार) या चिकन (150 ग्राम) (सप्ताह में दो बार) या मछली (2 टुकड़े) (मौसमी रूप से उपलब्ध) (सप्ताह में एक बार)
7.	मौसमी शाकाहारी	अच्छी गुणवत्ता की एक मौसमी सब्जी / मिक्स वेज / मटर पनीर / शाही पनीर / कढ़ाई पनीर / मलाई कोफ़ता /
8.	अनाज (दाल)	अरहर दाल/ दाल मखनी/ राजमा/ मूंग साबुत/ सफ़ेद चना/ काला चना/ मलका मसूर/ कढ़ी पकौड़ा - रोज़ बारी-बारी से कोई भी एक
9.	चावल	जीरा राइस/वेज पुलाव/बिरयानी और स्टीम्ड राइस (रोटेशन पर दैनिक)- कोई भी एक
10.	रोटी	04 सादा फुल्का या 02 सादा चपाती या 04 पुरी
11.	मिठाई	गुलाब जामुन / रसगुल्ला / छेना रोल // दूध केक / मानक दुकानों से अच्छी गुणवत्ता की बंगाली मिठाई / आइसक्रीम 100 ग्राम कप (अमूल / वेरका / वाडीलाल) - कोई भी एक
12.	माउथ फ्रेशनर	प्रीमियम गुणवत्ता वाला कोई भी दो

4) विशेष लंच-

a. वेज लंच:

सक्रमांक	आइटम	व्यौरा
1.	सूप	मनचो/टमाटर/पालक/स्वीटकोर्न/हॉट एंड सॉर/वेज क्लियर/बादाम की क्रीम/मशरूम की क्रीम/इसी तरह की कोई भी वस्तु- कोई भी एक
2.	सलाद	ग्रीन सलाद / रूसी सलाद / मूंगफली मसाला / ग्रीक सलाद / मूंग स्प्राउट / पास्ता सलाद / आलू चना चाट / कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
3.	शुरुआत	पनीर टिक्का/गोबी मंचूरियां/हरा भरा कबाब - या कोई समान वस्तु - कोई भी
4.	पापड़	02 पीसी तला हुआ/भुना हुआ
5.	अचार	मानक मात्रा
6.	दही/रायता	सेट दही/बूंदी रायता/वेज रायता/अनानास रायता/दही भल्ला/कोई भी एक
7.	मौसमी शाकाहारी	मिक्स वेज/गोभी फ्राई/कुरकुरी भिंडी/करेला फ्राई/आलू मेथी/कोर्न पालक/आलू मटर/सोया चाप मसाला/कश्मीरी दम आलू/स्टफ्ड शिमला मिर्च/तवा वेज/स्टफ्ड बैंगन कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
8.	पनीर	पनीर बटर मसाला/कढ़ाई पनीर/मटर पनीर/शाही पनीर/पालक पनीर/मलाई कोफ्ता/पालक कोफ्ता/मेथी मटर मलाई/पनीर मशरूम/नवरत्न कोरमा/ कोई भी खाद्यवस्तु - कोई भी एक
9.	दाल	दाल मखनी/राजमा/सफेद चना/काला चना/कढ़ी पकोड़ा/दाल तड़का/कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
10.	चावल	सादा चावल/भाप चावल/जीरा चावल/शाकाहारी पुलाव/शाकाहारी बिरयानी/कश्मीरी पुलाव/कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
11.	रोटी/ब्रेड	04 सादा फुल्का या 02 सादा चपाती या 04 पुरी
12.	मिठाई	मूंग डाला हलवा/रसमलाई/गुलाब जामुन/रसगुल्ला/गाजर हलवा/बंगाली मिठाई/आइसक्रीम/रबड़ी जलेबी/मौसमी कटे हुए फल (4 फल)/कोई भी समान वस्तु - कोई भी दो
13.	माउथ फ्रेशनर	प्रीमियम गुणवत्ता वाला कोई भी दो

b. वेज लंच (गोवा):

क्रमांक	आइटम	व्यौरा
1.	सूप	मनचाव/टमाटर/पालक/स्वीटकॉर्न/हॉट एंड सॉर/वेज क्लियर/बादाम की क्रीम/मशरूम की क्रीम/कोई भी समान वस्तु- कोई भी
2.	सलाद	ग्रीन सलाद / रूसी सलाद / मूंगफली मसाला / ग्रीक सलाद / मूंग स्प्राउट / पास्ता सलाद / आलू चना चाट / कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
3.	स्टार्टर्स	पनीर टिक्का/गोबी मंचूरियां/हरा भरा कबाब या कोई समान वस्तु - कोई भी <u>और</u> सोलकढ़ी
4.	पापड़	02 पीसी तला हुआ/भुना हुआ
5.	अचार	मानक मात्रा
6.	दही/रायता	सेट दही/बूंदी रायता/वेज रायता/अनानास रायता/दही भल्ला/कोई भी एक
7.	मौसमी शाकाहारी	वेरी फास्ट/गोबी फ्राई/गुरघुरी बिंदी/आलू मीथी/कॉर्न पालक/आलू मटर/सोया साब/कश्मीरी दम आलू पनीर बटर मसाला/स्टोरी पनीर/मटर पनीर/शाही पनीर/पालक पनीर/मलाई कोफ्ता/पालक कोफ्ता/ मेथी मटर मलाई /पनीर मैसरूम/नवरत्न कोरमा/कोई भी समान वस्तु - कोई भी
8.	विशेष (गोवा) व्यंजन	पनीर/मशरूम ज़ाकुटी, मशरूम फ्राई/तंबाड़ी भाजी/वेज विंदानलू/काजू भाजी/गोवा व्हाइट पीज़ करी/कोई भी समान वस्तु- कोई भी
9.	दाल	टमाटर सार (टमाटर करी)/ सोरक (नारियल) करी / दाल मखनी / सफेद चना / दाल तड़का / कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
10.	चावल	सादा चावल/भाप चावल/जीरा चावल/शाकाहारी पुलाव/शाकाहारी बिरयानी/कश्मीरी पुलाव/कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
11.	रोटी/ब्रेड	04 सादा फुल्का या 02 सादा चपाती या 04 पुरी

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों, छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और प्रतियोगिता (प्रतियोगिता) और प्रतियोगिता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ई-प्रतियोगिता

12.	मिठाई	मूंग डाला हलवा/रसमलाई/गुलाब जामुन/रसगुल्ला/गाजर हलवा/बंगाली मिठाई/आइसक्रीम/रबड़ी जलेबी/मौसमी कटे हुए फल (4 फल)/कोई भी समान वस्तु – कोई भी एक <u>और</u> सेरादुरा - एक प्रकार का स्वाद
13.	माउथ फ्रेशनर	प्रीमियम गुणवत्ता वाला कोई भी दो

C. □□□□-□□□□ □□□□:

क्रमांक	आइटम	व्यौरा
1.	सूप	मनचाव/टमाटर/पालक/स्वीटकोर्न/हॉट एंड सॉर/वेज क्लियर/बादाम की क्रीम/मशरूम की क्रीम/कोई भी समान वस्तु- कोई भी
2.	सलाद	ग्रीन सलाद / रूसी सलाद / मूंगफली मसाला / ग्रीक सलाद / मूंग स्प्राउट / पास्ता सलाद / आलू चना चाट / कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
3.	शुरुआत	चिकन मिर्च/चिकन तंदूरी/चिकन लॉलीपॉप/प्रॉन्स फ्राई/फिश फिंगर्स या इसी तरह की कोई भी वस्तु - कोई भी पनीर टिक्का/गोबी मंचूरियां/हरा भरा कबाब या कोई समान वस्तु - कोई भी
4.	पापड़	02 पीसी तला हुआ/भुना हुआ
5.	अचार	मानक मात्रा
6.	दही/रायता	सेट दही/बूंदी रायता/वेज रायता/अनानास रायता/दही भल्ला/कोई भी एक
7.	मौसमी शाकाहारी	वेरी फास्ट/गोबी फ्राई/गुरघुरी बिंदी/करेला फ्राई/आलू मीथी/कोर्न पालक/आलू माता/सोया साब मसाला/कश्मीर दम आलू/भरवां शिमला मिर्च/तवा वेगम/स्टफ्ड बैंगन पनीर बटर मसाला/स्टोरी पनीर/मतारा पनीर/शाही पनीर/पालक पनीर/माउंटेन कोफ्ता/पालक कोफ्ता/मीठी मदारा हिल/पनीर मसरूम/नवरत्न कोरमा। कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
8.	मेन कोर्स (नॉन-वेज)	अंडे/एग करी/चिकन कोल्हापुरी/चिकन हांडी/चिकन हैदराबादी/चिकन टिक्का मसाला/चिकन/किंग फिश करी या फ्राई/प्रॉन्स करी (मौसमी रूप से उपलब्ध फिश करी/फ्राई)
9.	दाल	दाल मखनी/राजमा/सफेद चना/काला चना/कढ़ी पकोड़ा/दाल तड़का/कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
10.	चावल	चिकन बिरयानी/चिकन दम बिरयानी/सादा चावल/भाप चावल/जीरा चावल/वेज पुलाव/वेज बिरयानी/कश्मीरी पुलाव/कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक

[illegible]

11.	रोटी/ब्रेड	04 सादा फुल्का या 02 सादा चपाती या 04 पुरी
12.	मिठाई	मूंग डाला हलवा/रसमलाई/गुलाब जामुन/रसगुल्ला/गाजर हलवा/बंगाली मिठाई/आइसक्रीम/रबड़ी जलेबी/मौसमी कटे हुए फल (4 फल)/कोई भी समान वस्तु – कोई भी दो
13.	माउथ फ्रेशनर	प्रीमियम गुणवत्ता वाला कोई भी दो

d. नॉन-वेज लंच (गोवा):

क्रमांक	आइटम	ब्यौरा
1.	सूप	मनचाव/टमाटर/पालक/स्वीटकोर्न/हॉट एंड सॉर/वेज क्लियर/बादाम की क्रीम/मशरूम की क्रीम/कोई भी समान वस्तु- कोई भी
2.	सलाद	ग्रीन सलाद / रूसी सलाद / मूंगफली मसाला / ग्रीक सलाद / मूंग स्प्राउट / पास्ता सलाद / आलू चना चाट / कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
3.	स्टार्टर्स	चिकन मिर्च/चिकन तंदूरी/चिकन लॉलीपॉप/प्रॉन्स फ्राई/फिश फिंगर्स या इसी तरह की कोई भी वस्तु -कोई भी पनीर टिक्का/गोबी मंचूरियां/हरा भरा कबाब या कोई समान वस्तु - कोई भी <u>और</u> सोलकढी
4.	पापड़	02 पीसी तला हुआ/भुना हुआ
5.	अचार	मानक मात्रा
6.	दही/रायता	सेट दही/बूंदी रायता/वेज रायता/अनानास रायता/दही भल्ला/कोई भी एक
7.	मौसमी शाकाहारी	मिक्स भेग/गोभी फ्राई/कुरकुरी भिंडी/आलो मेथी/करना पालक/आलो मटर/साय चीप मसाला/कश्मीरी दम आलो वाटर बटर मसाला/कढ़ाई पानी/मातृ जल/शाही पानी/फोस्टर वाटर/मलाई काफ़ता/पालक काफ़ता/मेथी मटर मलाई/जल मशरूम/नवरत्न कर्म/जल/मशरूम सोंती/तांबा
8.	विशेष (गोवा) व्यंजन	चिकन/फिश ज़ाकुटी/चिकन विंदानलू/गोअन फिश करी/फिश कैफ़ेल/गोअन क्रेब करी/फिश फ्राई/कोई भी समान आइटम- कोई भी
9.	दाल	टमाटर सार (टमाटर करी)/ सोरक (नारियल) करी / दाल मखनी / सफ़ेद चना / दाल तड़का / कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
10.	चावल	चिकन बिरयानी/चिकन दम बिरयानी/सादा चावल/भाप चावल/जीरा चावल/वेज पुलाव/वेज बिरयानी/कश्मीरी पुलाव/कोई भी समान वस्तु - कोई भी एक
11.	रोटी/ब्रेड	04 सादा फुल्का या 02 सादा चपाती या 04 पुरी

12.	मिठाई	मूंग डाला हलवा/रसमलाई/गुलाब जामुन/रसगुल्ला/गाजर हलवा/बंगाली मिठाई/आइसक्रीम/रबड़ी जलेबी/मौसमी कटे हुए फल (4 फल)/कोई भी समान वस्तु – कोई भी एक <u>और</u> सेरादुरा
13.	माउथ फ्रेशनर	प्रीमियम गुणवत्ता वाला कोई भी दो

भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी में स्टाफ कैटीन सेवाएं प्रदान की जाएंगी

- कैटीन सेवाएं सामान्यतः कैटीन क्षेत्र में या बैंक द्वारा बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्थान पर बैंक परिसर में प्रदान की जाएंगी। हालांकि, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, तो सेवाओं को कार्यालय समय के बाद प्रदान करना होगा।
- वेंडर स्टाफ कैटीन से संबंधित सेवाओं के लिए Annex-VII में उल्लिखित निर्देशात्मक दरों का उल्लेख करेगा। शुरू की गई किसी भी नई मद के लिए दरों को बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा अर्थात् पीओएस, प्लक्सी कार्ड मशीन / विक्रेता अपने द्वारा बैंक के कर्मचारियों को परोसे गए नाश्ते/दोपहर के भोजन/स्नैक्स मदों के बदले डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नकद के साथ प्लक्सी कार्ड स्वीकार करेगा। वेंडर सीधे Pluxee India Private Limited (पूर्व में Sodexo SVC India Pvt Ltd.) से Pluxee के खिलाफ राशि का दावा करेगा। इस संबंध में किसी भी दावे के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- बैंक द्वारा विक्रेता को प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं में आवश्यक क्राँकरी, पानी, बिजली, भोजन क्षेत्र और मौजूदा कैटीन फर्नीचर शामिल होंगे।
- कैटीन में सुबह नाश्ता, दोपहर में दोपहर का भोजन और शाम को नाश्ता प्रदान किया जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर बताए गए नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

ठेकेदार (ठेकेदारों)/भागीदार (भागीदारों) के नाम पर हस्ताक्षर:

मोहर:

दिनांक :

स्थान:

अनुलग्नक -VII

नाश्ते/नाश्ता/दोपहर के भोजन की दरें दैनिक आधार पर परोसी जाएंगी

A) नाश्ते के लिए मेनू: दैनिक परोसा जाना है:

क्रमांक	विवरण	रेट (₹)
a)	चाय/कॉफी/ग्रीन टी/लेमन टी/ताजा नीबू पानी/छाछ	15.00
b)	ब्रेड ऑमलेट (2 पीसी ब्रेड और 1 अंडा आमलेट)	30.00
c)	1 अंडा आमलेट	20.00
d)	दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स (नियमित / चोकोस)	45.00
e)	उबला हुआ अंडा (एक)	15.00
f)	04 मक्खन के साथ ब्रेड स्लाइस	30.00

B) नाश्ते के लिए मेनू: प्रति दिन कोई तीन व्यंजन

क्रमांक	विवरण	रेट (₹)
a)	भरवां (आलू 2 पीसी / पनीर 1 पीसी / मेथी 02) परांठे अचार/दही के साथ	45.00
b)	वेज ग्रिल्ड सैंडविच (2 स्लाइस)	35.00
c)	वेज सैंडविच (2 स्लाइस)	30.00
d)	पोहा	45.00
e)	पाव भाजी (भाजी + 2 पाव)	45.00
f)	02 पुरी - भाजी (आलू/चना)	45.00
g)	02 इडली (2) और सांभर	45.00
h)	सांभर और चटनी के साथ मसाला /	45.00
i)	02 सांभर या चटनी के साथ वड़ा	45.00
j)	02 वेज कटलेट चटनी के साथ	45.00
k)	नारियल की चटनी के साथ उपमा	45.00
l)	साबूदाना खिचड़ी	45.00
m)	साबूदाना वड़ा (02 पीसी) चटनी के साथ	45.00
n)	फलों की थाली	45.00

C) शाम के नाश्ते के लिए मेनू: प्रति दिन कोई तीन व्यंजन:

क्रमांक	वस्तु का नाम	रेट (₹)
a)	चाय/काँफी/ग्रीन टी/लेमन टी/ताजा नीबू पानी/छाछ दूध	15.00
b)	ब्रेड पकोड़ा	15.00
c)	समोसा (1pc)	15.00
d)	सादा नूडल्स	25.00
e)	वेजिटेबल नूडल्स	40.00
f)	वेज ग्रिल्ड सैंडविच (2 स्लाइस)	35.00
g)	वेज सैंडविच (2 स्लाइस)	30.00
h)	ब्रेड ऑमलेट (2 पीसी ब्रेड और 1 अंडा आमलेट)	30.00
i)	उबला हुआ अंडा (एक)	15.00
j)	1 अंडा आमलेट	20.00
k)	कांदा भाजी	25.00
l)	02 वेज कटलेट चटनी के साथ	45.00
m)	चटनी के साथ बड़ा पाव	25.00
n)	फलों की थाली	45.00
o)	कोल्ड ड्रिंक/जूस	एमआरपी के अनुसार
p)	पैकड बिस्कुट/नमकीन	एमआरपी के अनुसार
q)	चिप्स	एमआरपी के अनुसार
r)	ब्राउनी (1 पीसी)	एमआरपी के अनुसार
s)	कप केक (1pc)	एमआरपी के अनुसार

D) स्टाफ कैटीन में परोसा जाने वाला दोपहर का भोजन:

क्र.सं.	विवरण	इकाई (प्लेट/टुकड़ा)	दरें (रुपये में)
	वेज लंच (मेनू अनुबंध-IX में दर्शाया गया है)	01	120/-
	नॉन-वेज लंच (मेनू अनुबंध – X में दर्शाया गया है)	01	140/-
	सब्जी (प्रति प्लेट)	100 ग्राम।	40/-
	दाल (प्रति प्लेट)	100 ग्राम।	20/-
	चावल (प्रति प्लेट)	100 ग्राम।	20/-
	रोटी	प्रति पीस	5/-
	रायता	100 ग्राम।	15/-
	मीठा (दिन की मिठाई)	प्रति नग / प्लेट	20/-
	पापड़	01 नग	5/-
	पुलाव	150 ग्राम।	30/-
	दिन का सूप	150 मिलीलीटर	20/-
	नॉनवेज डिश ऑफ द डे	1 नग या 150 ग्राम। (ग्रेवी के साथ)	50/-

दिनांक :

स्थान:

ठेकेदार/ठेकेदार/रों के हस्ताक्षर

क्रमांक	विवरण	ब्रांड
	चाय/कॉफी/ग्रीन टी	टाटा टी/ब्रुक बॉन्ड/लिप्टन/नेस्कैफे/ब्रू या कोई अन्य समान प्रीमियम ब्रांड
	चीनी	धामपुर/पतंजलि/शुगरलाइट/ट्रस्ट या कोई अन्य प्रीमियम गुणवत्ता
	दूध और दूध से बने उत्पाद	अमूल/गोवा डेयरी/वारना/डेलिसिया/नंदिनी
	मक्खन	अमूल/गोवा डेयरी/ब्रिटानिया/नंदिनी या समकक्ष
	ब्रेड (सफेद/ब्राउन)	ब्रिटानिया, माइल्स हाई या समकक्ष
	कॉर्न फ्लेक्स	केलॉग्स/पतंजलि/बागरी, मोहन या समकक्ष
	खाद्य परिष्कृत तेल	सफोला/सनड्रॉप/पतंजली/फॉर्च्यून/स्वीकर
	खाद्य सरसों का तेल	पतंजलि/फॉर्च्यून/सफोला
	मसाले	पैकड कैच/एमडीएच/एवरेस्ट/टाटा संपन्न/ पतंजलि
	गेहूं का आटा	आशीर्वाद सेलेक्ट / पतंजलि शरबती / शक्ति भोग शरबती या समकक्ष
	चावल (बासमती)	दावत, इंडिया गेट या प्रीमियम गुणवत्ता का कोई भी चावल
	दालों	टाटा सम्पन्ना/पतंजलि/फॉर्च्यून या समकक्ष अच्छी गुणवत्ता की पैकेज्ड दालें
	खाने पर टेबल नमक/काली मिर्च (पाउडर) और चाट मसाला तालिकाओं	टाटा/कैच/एमडीएच/एवरेस्ट/पतंजलि
	अचार	माताओं/टॉप्स/पतंजलि या बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य ब्रांड
	ऊपर बताए गए के अलावा अन्य सभी उपभोग्य वस्तुएं	प्रीमियम गुणवत्ता

ठेकेदार/ठेकेदार/रों के हस्ताक्षर

स्टाफ कैंटीन के लिए मेनू

बेसिकवेजलंच

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	मौसमी सलाद	हरी सलाद
2	अचार	टॉप्स/निलोन/मदर्स रेसिपी
3	दही/रायता	सादा दही/रायता 100 ग्राम, सीलबंद कप मदर डेयरी/अमूल
4	भाजी	अच्छी गुणवत्ता की एक मौसमी सब्जी (रोटेशन पर) (सप्ताह में तीन बार) नहीं तो मटर पनीर/शाही पनीर/शिमला मिर्च पनीर/मलाई कोफ्ता/मलाई मेथी/पालक पनीर/मशरूम दो प्याज़ा (सप्ताह में दो बार) नोट: सब्जियों में आलू या अन्यथा सप्ताह में दो बार से अधिक नहीं परोसा जाना चाहिए।
5	अनाज (दाल)	अरहर दाल/तूर दाल, दाल मखनी/राजमा, मूंग साबूत, सफेद चना, मलका मसूर, सांभर (रोटेशन पर दैनिक)
6	चावल	जीरा राइस/वेज पुलाव/बिरयानी और स्टीम्ड चावल (रोटेशन पर दैनिक)-कोई भी एक
7	रोटी/ब्रेड	04 सादा फुल्का या 02 सादा चपाती या 04 पुरी

दिनांक :

स्थान:

ठेकेदार/ठेकेदार/रों के हस्ताक्षर

स्टाफ कैंटीन के लिए मेनू

बेसिक नॉन-वेज लंच

क्र.सं.	आइटम	ब्यौरा
1	मौसमी सलाद	हरी सलाद
2	अचार	निल्लन/माँ की रेसिपी
3	दही/रायता	सादा दही/रायता 100 ग्राम, सीलबंद कप मदर डेयरी/अमूल की
4	मेन कोर्स (नॉन-वेज) (करी आधारित)	अंडे (02) (सप्ताह में दो बार) <u>या</u> चिकन (150 ग्राम) (सप्ताह में दो बार) <u>या</u> मछली (2 टुकड़े) (मौसमी रूप से उपलब्ध) (सप्ताह में एक बार)
5	मेन कोर्स (वेज)	अच्छी गुणवत्ता की एक मौसमी सब्जी (रोटेशन पर) (सप्ताह में तीन बार) नहीं तो मटर पनीर/शाही पनीर/शिमला मिर्च पनीर/मलाई कोफ्ता/मलाई मेथी/पालक पनीर/मशरूम दो प्याज़ा (सप्ताह में दो बार) टिप्पणियाँ: सब्जियों में आलू या अन्यथा सप्ताह में दो बार से अधिक नहीं परोसा जाना चाहिए।
6	चावल	जीरा राइस/वेज पुलाव/बिरयानी और उबले हुए चावल (रोटेशन पर दैनिक)
7	रोटी/ब्रेड	04 सादा फुल्का <u>या</u> 02 सादा चपाती या 04 पुरी

दिनांक :

स्थान:

ठेकेदार/ठेकेदार/रों के हस्ताक्षर

अनुलग्नक -XI

न्यूनतम मजदूरी गणना शीट

	घटक	कुशल (रु. में)	अकुशल (रु. में)
	सीएलसी अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसार न्यूनतम वेतन (रु. में)	893	674
	कार्यदिवसों की संख्या (रिलीवर के शुल्क सहित)	22	22
	कर्मचारियों की श्रेणी वार	04	05
1	आधार मजदूरी प्लस VDA X 22	78,584.00	74,140.00
2	ईएसआईसी (मूल मजदूरी का 3.25% प्लस वीडिए) {यह योगदान दिया जाता है जिसका वीडिए 21000 रुपये से कम है}	2554.00	2410.00
3	ईपीएफ (मूल वेतन प्लस वीडिए का 12%) {मूल प्लस वीडिए ईपीएफ गणना के लिए प्रति माह रु 15,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन है}	7200.00	8897.00
4	प्रशासनिक प्रभार (मूल वेतन प्लस वीडिए का 0.5% {मूल प्लस वीडिए ईपीएफ गणना के लिए प्रति माह 15000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है}	300.00	370.70
5	ईडीएलआई (मूल मजदूरी प्लस वीडिए का 0.5%) {मूल प्लस वीडिए ईपीएफ गणना के लिए प्रति माह 15000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है}	300.00	370.70
6	बोनस @ बेसिक प्लस वीडिए का 8.33%	6546.00	6176.00
7	उप-योग	95,484.00	92,364.40 ~ 92,364.00
	कुल (जीएसटी को छोड़कर)	1,87,848.00	

टिप्पणी: गणना सीएलसी द्वारा 01 अप्रैल 2025 से अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी पर आधारित है।

कंपनी प्रोफाइल

(फर्म के लेटर हेड पर प्रदान किया जाना है)

बोलीदाता का नाम	
निगमन/स्थापना की तिथि	
वरतन	
जीएसटी पहचान संख्या	
ईपीएफ पंजीकरण	
ईएसआई पंजीकरण	
श्रम लाइसेंस	
डाक संचार के लिए कार्यालय का पता	
पणजी कार्यालय का पता (यदि कोई हो)	
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विवरण (सक्षमनाम	
प्राधिकारी द्वारा कंपनी / फर्म	औहदा
प्राधिकरण, होना	ईमेल
संलग्न)	फोन/मोबाइल नं.
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अलावा अन्य	नाम
संपर्क का विवरण	औहदा
	ईमेल
	फोन/मोबाइल नं.

निविदाकर्ता के नाम पर हस्ताक्षर और मुहर:

दिनांक :

पूरा पता:

संपर्क नंबर:

ईमेल आईडी:

वार्षिक टर्नओवर विवरण

मूल्यांकन मानदंड	वित्तीय साल	कारोबार (आईएनआर)	टिप्पणियां
बोली लगाने वाले के पास पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए 31.03.2024 तक कम से कम ₹ 36,00,000/- (₹ छत्तीस लाख केवल) औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए।	2023-2024		कृपया चार्टर्ड लेखाकार का प्रमाण पत्र इस अनुबंध के साथ संलग्न करें (और अन्य कोई सहायक दस्तावेज़ बोलीदाता संलग्न करें)
	2022-2023		
	2021-2022		

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

औहदा:

संपर्क नंबर:

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, जिसमें निष्फल ड्रेसिंग और कपास ऊन की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, को आसानी से सुलभ स्थान पर बनाए रखा जाएगा।
2. घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
3. कोई भी फर्श, छत या संरचना/जुड़नार का अन्य हिस्सा सामग्री से इतना अधिक भारित नहीं होना चाहिए जितना कि इसे असुरक्षित बना दे।
4. नियोजित श्रमिकों को आवश्यकता के अनुसार सुरक्षात्मक जूते, मास्क, एप्रन सहित सुरक्षात्मक गियर और हाथ-दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
5. स्थानीय कानूनों के अनुसार अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सुरक्षा संहिता को पढ़ और समझ लिया है और यदि कार्य मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझ पर/हम पर बाध्यकारी रहेगा।

मुहर के साथ निविदाकार के हस्ताक्षर:

दिनांक :